रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 1993/माघ 5, 1914
No. 25] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 1993/MAGHA 5, 1914

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1993

सा.का.नि. 32(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाये गये और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) विनियम, 1993 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं.पी. आर. 12016/6/92-पी.ई.-1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

कर्मचारी (छुट्टी) विनियम, 1993

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के खंड (ख) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय—1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) ये विनियम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (छुट्टी) विनियम, 1993 कहलाएं।

(2) ये उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचित करे।

2. प्रयुक्ति का विस्तार :

इन विनियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये विनियम बोर्ड के अधीन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों

को लागू होंगे, किन्तु निम्न व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे--

(क) जो आकस्मिक दैनिक मजदूरी पर या अंशकालिक नियोजन में हैं ;

(ख) जो आकस्मिक व्यय में से भुगतान प्राप्त करते हैं ;

(ग) जो अन्य निकायों से अन्यत्र सेवा पर आये हैं;

(घ) यदि संविदा में अन्यथा उपबंध हो तो वह छोड़कर जो व्यक्ति संविदा पर नियोजित है ।

3. परिभाषाएं :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

(क) "प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक" का तात्पर्य जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या और उपचार) विनियम में यथापरिभाषित प्राधिकारी से है ।

(ख) किसी वर्ग के पदों के संबध में "छुट्टी मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य इन विनियमों की प्रथम अनुसूची के स्तंभ (3) में उस वर्ग के सामने विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है, जो कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में उस वर्ग के सामने विनिर्दिष्ट प्रकार की छुट्टी मंजूर करने के लिये सक्षम है।

स्पष्टीकरण :

छुट्टी मंजूर करने के लिये सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के अधीन उसे प्रदत्त की गई छुट्टी मंजूर करने की शक्ति, अपने अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(ग) "बोर्ड", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" और "विभाग प्रमुख" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा, जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में उन के लिये दिया गया है ।

(घ) "वर्ग 1 के पद", "वर्ग 2 के पद", "वर्ग 3 के पद" और "वर्ग 4 के पद" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 1988 में उनके लिये दिया गया है ।

(ङ) "सेवा का संपूरित वर्ष" या "एक वर्ष की निरंतर सेवा" का तात्पर्य बोर्ड के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि तक निरंतर सेवा से है और इसमें ड्यूटी पर तथा असाधारण छुट्टी समेत छुट्टी पर बिताई गई अवधि सम्मिलित है ।

(च) कर्मचारी के संबंध में "सेवानिवृत्ति की तारीख" या "उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख" का तात्पर्य जिस मास में कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी निबंधन और शर्तों के अधीन सेवा-निवृत्ति की विहित आयु पूरी करता है उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से है ।

(छ) "अन्यत्र सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जिसमें कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी से, बोर्ड के साधारण लेखा या पॉयलटेज लेखा से अन्य किसी स्रोत से अपना वेतन प्राप्त करता है ।

(ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य इन विनियमों की द्वितीय अनुसूची से संलग्न प्रपत्र से है ।

(झ) "स्थायी नियोजन में कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसकी बोर्ड की सेवा में पुष्टि हुई है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सेवा की साधारण शर्तें विनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त विनियम में उनके लिये दिये गये हैं ।

4. अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरित कर्मचारी :

(1) जिन कर्मचारियों को ये विनियम लागू हैं, उन्हें, भारत के भीतर अन्यत्र सेवा में रहने के दौरान ये विनियम लागू रहेंगे, ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जो भारत के बाहर अन्यत्र सेवा में हैं, ये विनियम अन्यत्र सेवा के निबंधनों एवं शर्तों में उपबंधित विस्तार तक लागू होंगे ।

(2) अन्य निकाय से अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरित कर्मचारी छुट्टी के उन्हीं नियमों के अध्यधीन रहेगा जो कि ऐसे स्थानांतर के पूर्व उसे लागू थे ।

(3) अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरित कर्मचारी को अन्यत्र सेवा की अवधि पूरी होने के अंत में इतर विभाग नियोजक द्वारा दो महीनों से अनधिक छुट्टी मंजूर की जाएगी । तथापि, छुट्टी मंजूर करने वाले बोर्ड के समुचित प्राधिकारी द्वारा ही आगे की छुट्टी मंजूर की जा सकती है ।

अध्याय-2

साधारण शर्तें

5. छुट्टी का अधिकार :

(1) अधिकार के तौर पर छुट्टी का दावा नहीं किया जा सकता है।

(2) जब सेवा की अत्यावश्यकता के कारण यह अपेक्षित हो, तो उस दशा में छुट्टी मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी भी प्रकार की छुट्टी नामंजूर या प्रतिसंहृत की जा सकेगी किन्तु वह प्राधिकारी, शोध्य और आवेदित प्रकार की छुट्टी में कर्मचारी के लिखित अनुरोध को छोड़कर अन्यथा परिवर्तन नहीं कर कर सकता है ।

6. छुट्टी के दावे का विनियमन :

किसी कर्मचारी की छुट्टी का दावा, छुट्टी का आवेदन करने और वह मंजूर होने के समय प्रवर्तमान विनियमों द्वारा विनियमित किया गया है।

7. पदच्युति, बरखास्तगी या त्यागपत्र का जमा खाते की छुट्टी पर प्रभाव :

(1) विनियम और इस विनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जो कर्मचारी बोर्ड की सेवा से पदच्युत हुआ है या बरखास्त हुआ है या त्यागपत्र दिया है, उसके खाते जमा छुट्टी का कोई भी दावा, ऐसी पदच्युति, बरखास्तगी या, यथास्थिति, त्यागपत्र की तारीख से परिविरत होगा।

(2) जो कर्मचारी सेवा से पदच्युत या बरखास्त किया गया है और अपील या पुनरीक्षण पर पुनःस्थापित किया गया है, वह पदच्युति या, यथास्थिति, बरखास्तगी के पूर्व की अपनी सेवा को छुट्टी हेतु गणना किये जाने के लिये हकदार होगा।

(3) जो कर्मचारी प्रतिकर या अशक्त पेंशन या उपदान पर सेवानिवृत्त होकर पुनर्नियोजित हुआ है और उसकी गत सेवा पेंशन के लिये गिनी गई है, वह छुट्टी के प्रति गत सेवा गिनी जाने के लिये हकदार होगा।

8. एक प्रकार की छुट्टी का दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन :

(1) जिस प्राधिकारी ने कर्मचारी की छुट्टी मंजूर की है वह, कर्मचारी के अनुरोध पर, इस छुट्टी को ऐसी किसी भिन्न प्रकार की छुट्टी में, भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तित कर सकेगा, जो कि छुट्टी मंजूर किये जाने के समय उसे देय और अनुज्ञेय थी, किन्तु कर्मचारी अपने अधिकार के तौर पर इस प्रकार के परिवर्तन का दावा नहीं कर सकता है।

(2) एक प्रकार की छुट्टी का दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन, कर्मचारी को अंतिमतः मंजूर की गई छुट्टी के आधार पर मिलने वाले छुट्टी वेतन के समायोजन के अध्यधीन होगा, अर्थात् अधिक अदा की गई कोई राशि वसूल की जायेगी या उसे देय कोई बकाया अदा किया जायेगा।

टिप्पणी :

चिकित्सा प्रमाणपत्र पर या अन्यथा मंजूर की गई असाधारण छुट्टी, विनियम 28 के उपबंधों के अध्यधीन अर्जनशोध्य छुट्टी में भूतलक्षी प्रभाव से, परिवर्तित की जा सकेगी।

9. विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का संयोजन :

इन विनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इन विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार की छुट्टी अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर या जोड़ कर मंजूर की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण :

आकस्मिक छुट्टी, जो कि इन विनियमों के अधीन छुट्टी नहीं मानी गई है, इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं मिलाई जायेगी।

10. लगातार छुट्टी का अधिकतम परिमाण :

जब तक कि अध्यक्ष मामले की अपवादात्मक परिस्थितियों के कारण अन्यथा अवधारित न करे, किसी कर्मचारी को लगातार पांच वर्षों से अधिक अवधि की कोई भी छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी।

11. छुट्टी के दौरान सेवा या रोजगार स्वीकार करना:

(1) जिस कर्मचारी को यदा-कदा साहित्यिक कार्य करने या परीक्षक के रूप में सेवा करने या इस तरह का नियोजन स्वीकार करने की अनुमति मिली है उन्हें छोड़कर, अन्य कर्मचारी सेवा-निवृत्तिपूर्व छुट्टी सहित अन्य छुट्टी के दौरान निम्न लोगों की पूर्वानुमति के बिना कहीं भी कोई सेवा या रोजगार ग्रहण नहीं करेंगे और लेखापाल, परामर्शी या विधि या चिकित्सा व्यवसायी के रूप में निजी वृत्तिक व्यवसाय नहीं खोलेंगे—

(क) यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत से बाहर अन्य स्थान में है, तो अध्यक्ष; या

(ख) यदि प्रस्तावित सेवा या रोजगार भारत में है, तो नियुक्ति प्राधिकारी।

(2)(क) किसी कर्मचारी को साधारणतया सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी से अन्य किसी छुट्टी के दौरान कोई अन्य सेवा या रोजगार स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी,

(ख) यदि किसी आपवादिक मामले में ऐसी अनुज्ञा प्रदान करना वांछनीय समझा जाता है, तो कर्मचारी बोर्ड के अधीन अपनी सेवा को अस्थायी तौर पर उस कार्यालय में अंतरित करवा सकता है जिसमें कि सेवा या रोजगार स्वीकार करने की उसे अनुज्ञा दी गई है या कोई अन्य सेवा या नियुक्ति स्वीकार करने के पूर्व उससे अपनी नियुक्ति का त्यागपत्र देने की अपेक्षा की जा सकती है।

(ग) किसी कर्मचारी को सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी के दौरान सरकारी या अर्ध-सरकारी या लोकनिकाय या स्वायत्त निकाय में रोजगार स्वीकार करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और उस दशा में भी सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी वही रहेगी जैसा कि विनियम 32 के अधीन अनुज्ञेय है।

(घ) उप-खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष आपवादिक मामलों में और स्वविवेकानुसार ऐसे कर्मचारियों को, जिनके पास विदेशगामी पोत के मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र या प्रथम वर्ग अभियंता (मोटर) या (जलधार और मोटर) का सक्षमता प्रमाणपत्र है, उनकी नियमित छुट्टी के दौरान ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह विहित करे, बाह्य सेवा या रोजगार स्वीकार करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ङ) सामान्यतः मांगी गई अनुज्ञा प्रदान की जायेगी, जब तक कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी का ऐसा विचार न हो—

(एक) कि कर्मचारी ने सेवा में रहने के दौरान प्रस्तावित नियोजक के साथ ऐसा संव्यवहार किया है जिसके कारण यह सन्देह उत्पन्न हो सकता है कि उसने पश्चात्कथित व्यक्ति के प्रति अनुग्रह दिखाया है;

(दो) कि कर्मचारी की ड्यूटी ऐसी होंगी जिसके कारण बोर्ड के साथ विरोध पैदा हो सकता है;

(तीन) कि इस प्रकार के नियोजन से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 117-क के उपबंधों का अतिक्रमण होने की संभावना है।

(3) यदि किसी कर्मचारी से, जो सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर है, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले छुट्टी की इस अवधि में बोर्ड के अधीन किसी पद पर, कार्य ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है और वह ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए राजी है, तो पद पुनर्ग्रहण करने की तारीख से छुट्टी का अनवसित शेष भाग रद्द कर दिया जायेगा। खंड (क) के अधीन इस प्रकार रद्द की गई छुट्टी को विनियम 33 के उप-विनियम में उपबंधित ढंग से भुनाने की अनुमति होगी।

अध्याय-3

छुट्टी की मंजूरी और छुट्टी से वापसी

12. छुट्टी का आवेदन :

छुट्टी के लिए या छुट्टी बढ़ाने के लिए कोई आवेदन प्रपत्र-1 में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को किया जायेगा।

13. छुट्टी लेखा :

प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रपत्र-2 में छुट्टी लेखा रखा जायेगा।

14. छुट्टी का सत्यापन :

जब तक कर्मचारी को छुट्टी अनुज्ञेय न हो उसे कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी।

15. कतिपय परिस्थितियों में छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी :

जिस कर्मचारी को सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी ने सेवा से पदच्युत, पदच्युत या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है या जो कर्मचारी निलंबनाधीन है उसे छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी।

16. चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी की मंजूरी :

(1) कोई कर्मचारी चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर छुट्टी के लिए जो आवेदन करता है उसके साथ प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा प्रपत्र-3 में दिया गया चिकित्सा प्रमाणपत्र जोड़ा जायेगा, जिसमें चिकित्सीय परिचारक यथाशक्य स्पष्ट रूप से बीमारी के स्वरूप एवं बीमारी की संभाव्य कालावधि का उल्लेख करेगा।

(2) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक किसी भी दशा में ऐसे मामले में छुट्टी की मंजूरी की सिफारिश नहीं करेगा जिसमें यह प्रतीत होता है कि अपना कार्यभार फिर से ग्रहण करने के लिए कर्मचारी के कभी भी स्वस्थ होने की युक्तियुक्त संभावना नहीं है और ऐसे मामले में, चिकित्सा प्रमाणपत्र में यह राय दी जायेगी कि कर्मचारी सर्वदा के लिए बोर्ड की सेवा हेतु अनुपयुक्त है।

(3) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वविवेकानुसार, किसी दूसरे चिकित्सीय परिचारक से यथा-संभव शीघ्र तारीख को आवेदक की स्वास्थ्य परीक्षा करने का अनुरोध करके दोबारा चिकित्सीय राय प्राप्त कर सकेगा।

(4) प्राधिकृत चिकित्सीय प्राधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बीमारी के तथ्यों और सिफारिश की हुई छुट्टी की आवश्यकता दोनों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करे तथा इस प्रयोजनार्थ वह आवेदक से अपने समक्ष या उसके द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) इस विनियम के अधीन चिकित्सा प्रमाणपत्र दिये जाने से सम्बन्धित कर्मचारी को छुट्टी का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होता है; यह चिकित्सा प्रमाणपत्र छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जायेगा और उस प्राधिकारी के आदेश की प्रतीक्षा की जायेगी ।

(6) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वविवेकानुसार ऐसे मामले में, जहां छुट्टी का आवेदन एक समय में 3 दिनों से अनधिक अवधि के लिए किया जाता है, चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त का अधित्यजन कर सकेगा । तथापि, यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई छुट्टी नहीं समझी जायेगी और चिकित्सा के आधार पर दी जाने वाली छुट्टी से अन्य छुट्टी के प्रति विकलित की जायेगी ।

17. ड्यूटी पर वापस हाजिर होने के लिए जिस कर्मचारी की स्वस्थ होने की संभावना नहीं है ऐसे कर्मचारी की बाबत छुट्टी :

(1)(क) जब चिकित्सा अधिकारी ने रिपोर्ट दी हो कि ऐसी कोई युक्तियुक्त संभावना नहीं है कि कर्मचारी ड्यूटी पर वापस हाजिर होने के लिए कभी स्वस्थ हो सकता है, तो ऐसे कर्मचारी की छुट्टी सामान्यतः अस्वीकार नहीं की जायेगी ।

(ख) छुट्टी यदि शोध्य है, तो छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न शर्तों पर छुट्टी मंजूर की जा सकेगी :

(एक) यदि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक निश्चित रूप से यह बताने में असमर्थ रहता है कि कर्मचारी अब कभी भी सेवा के लिए स्वस्थ नहीं होगा, तो कुल मिलाकर बारह महीनों से अनधिक अवधि की छुट्टी मंजूर की जा सकेगी और यह छुट्टी प्राधिकृत चिकित्सकीय परिचारक को पुनः निर्देशित किए बिना बढ़ाई नहीं जाएगी ।

(दो) यदि किसी कर्मचारी के बारे में प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक यह घोषित करता है कि वह आगे की सेवा के लिए पूर्णतया और सर्वदा के लिए असमर्थ हो चुका है, तो प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की रिपोर्ट मिलने के बाद उस कर्मचारी को छुट्टी या छुट्टी विस्तार की मंजूरी दी जा सकेगी, बशर्ते कि छुट्टी लेखे विकलित छुट्टी का परिमाण और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की रिपोर्ट की तारीख से आगे ड्यूटी की कोई कालावधि छः महीनों से अधिक न हो ।

(2) जो कर्मचारी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आगे की सेवा के लिए पूर्णतया और सर्वदा के लिए असमर्थ घोषित किया गया है, वह :

(क) यदि ड्यूटी पर है, तो अपनी ड्यूटी से निर्मुक्त किए जाने की तारीख से, जिसकी व्यवस्था प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अविलंब की जायेगी, सेवा से निकाल दिया जाएगा, तथापि, उसे यदि उप-विनियम (1) के अधीन छुट्टी प्रदान की गई है, तो उस छुट्टी के अवसान पर उसे सेवा के अयोग्य ठहरा दिया जाएगा ।

(ख) यदि पहले से ही छुट्टी पर है, तो उस छुट्टी के अवसान पर या, यदि उप-विनियम (1) के अधीन उसकी छुट्टी बढ़ाई गई है, तो बढ़ाई गई छुट्टी के अवसान पर, वह सेवा के अयोग्य ठहरा दिया जाएगा ।

18. छुट्टी का प्रारंभ और समाप्ति :

विनियम 19 में जैसा कि उपबंधित है उसके सिवाय, छुट्टी सामान्यतः उस दिन को प्रारंभ होती है जिस दिन को प्रभार का अंतरण किया जाता है और उस दिन के पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होती है जिस दिन को प्रभार ग्रहण किया जाता है ।

19. छुट्टी के साथ अवकाश के दिनों को मिलाना :

(1) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी से अन्य कर्मचारी की छुट्टी जिस दिन को प्रारंभ होती है उसके ठीक पूर्ववर्ती दिन को या जिस दिन को छुट्टी समाप्त होती है उसके ठीक पश्चातवर्ती दिन को यदि अवकाश दिन है या अवकाश के दिन हैं, तो ऐसा समझा जाएगा कि कर्मचारी को (ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां प्रशासनिक कारणों से छुट्टी से पूर्व/पश्चात् अवकाश दिन जोड़ने की अनुज्ञा विशेषरूप से रोक रखी गई है।) ऐसे अवकाश दिन या अवकाश दिनों के सद्य पूर्ववर्ती दिन की समाप्ति पर आस्थान छोड़ने अथवा ऐसे अवकाश दिन या अवकाश दिनों के सद्य पश्चात्वर्ती दिन को उस आस्थान पर वापस लौटने की अनुज्ञा दी गई है :

परन्तु —

(एक) उसके प्रभार सौंपने या ग्रहण करने में, स्थायी अग्रिम को छोड़कर प्रतिभूतियों का या धन का सौंपना या ग्रहण करना अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

(दो) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी के मामले में,

(क) जब किसी कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने के संदर्भ में चिकित्सीय दृष्टि से अस्वस्थ प्रमाणित किया जाता है, तो उस दशा में जिस दिन वह इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है उसके ठीक पूर्ववर्ती दिन को यदि कोई अवकाश दिन है (हैं) वह स्वयमेवही छुट्टी के पहले मिला दिया जाएगा और जिस दिन वह इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है (उस दिन सहित) उसके ठीक उत्तरवर्ती दिन को यदि कोई अवकाश दिन है (हैं) उसे छुट्टी का भाग समझा जाएगा; और

(ख) जब किसी कर्मचारी को ड्यूटी का पदभार ग्रहण करने के लिए चिकित्सीय दृष्टि से स्वस्थ प्रमाणित किया जाता है, तो उस दशा में जिस दिन वह इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है (उस दिन सहित) उसके ठीक उत्तरवर्ती दिन को यदि कोई अवकाश दिन है (हैं) वह स्वयमेव ही छुट्टी के बाद मिला दिया जाएगा और जिस दिन वह इस प्रकार प्रमाणित किया जाता है उसके ठीक पूर्ववर्ती दिन को यदि कोई अवकाश दिन है (हैं) उसे छुट्टी का भाग समझा जाएगा।

(2) इस शर्त पर कि जाने वाला कर्मचारी अपने प्रभाराधीन धन के लिए उत्तरदायी रहेगा, विभाग प्रमुख किसी विशिष्ट मामले में, उप-विनियम (1) के परंतुक के खंड (एक) की प्रयुक्ति का अधित्यजन कर सकेगा।

(3) जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी किसी मामले में अन्यथा निदेश न दे --

(क) यदि अवकाश दिन छुट्टी के पूर्व मिलाये गए हैं, तो छुट्टी और परिणामतः वेतन तथा भत्तों का पुनर्ठहराव अवकाश दिन के पश्चात्वर्ती दिन से प्रभावी होगा; और

(ख) यदि अवकाश दिन छुट्टी के पश्चात् मिलाए गए हैं, तो अवकाश दिन छुट्टी के पश्चात् न मिलाने पर जिस दिन छुट्टी समाप्त होती उस दिन से छुट्टी समाप्त हुई समझी जाएगी और परिणामतः वेतन तथा भत्तों का कोई पुनर्ठहराव उसी दिन से प्रभावी होगा.

टिप्पणी : साप्ताहिक विश्राम दिन अथवा रविवार या अवकाश के दिन की गई ड्यूटी के बदले में दी गई पूर्ण दिन की प्रतिकारात्मक छुट्टी अथवा वैकल्पिक अवकाश दिन को उपर्युक्त प्रयोजनार्थ अवकाश दिन माना जा सकेगा।

20. छुट्टी समाप्त होने के पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाना :

यदि किसी कर्मचारी को उसकी छुट्टी समाप्त होने के पूर्व ड्यूटी पर वापस बुलाया जाता है, तो इस प्रकार ड्यूटी पर वापस बुलाया जाना अनिवार्य माना जाएगा और ऐसे समस्त मामलों में कर्मचारी ---

(क) यदि भारत में है, तो जिस तारीख से वह वापसी यात्रा शुरू करता है उस तारीख से ड्यूटी पर हाजिर हुआ माना जाने का हकदार होगा और---

(एक) यात्रा के लिए यथाअनुज्ञेय यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा; और

(दो) यदि उसे ड्यूटी पर वापस न बुलाया गया होता, तो जिस दर से उसे छुट्टी वेतन मिलता उसी दर से वह अपने पद का कार्यग्रहण करने तक छुट्टी वेतन प्राप्त करने का भी हकदार होगा।

(ख) जिस छुट्टी से उसे वापस बुलाया गया है यदि वह छुट्टी भारत के बाहर है, तो छुट्टी की गणना करने के प्रयोजनार्थ समुद्रयात्रा में लगा समय ड्यूटी में लगा समय गिना जाने के लिए वह हकदार होगा और ---

(एक) भारत की समुद्रयात्रा में लगी कालावधि के लिए और भारत में उतरने की तारीख से अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख तक की अवधि के लिए उसी दर पर छुट्टी वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। जिस दर पर यदि उसे ड्यूटी पर वापस न बुलाया गया होता, तो वह छुट्टी वेतन प्राप्त करता।

(दो) भारत की निःशुल्क यात्रा के लिए हकदार होगा;

(तीन) ड्यूटी पर वापस बुलाए जाने पर यदि भारत के लिए रवाना होने की तारीख तक उसने अपनी छुट्टी की आधा अवधि अथवा तीन महीने, इसमें जो भी कम हो, पूरा नहीं की है, तो भारत से अपने यात्रा भाड़े का प्रतिदाय प्राप्त करने का हकदार होगा;

(चार) भारत में उतरने के स्थान से ड्यूटी के स्थान तक यात्रा के लिए यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

21. छुट्टी से वापसी.

(1) छुट्टी पर गया कर्मचारी उसे मंजूर की गई छुट्टी की अवधि की समाप्ति के पहले तब तक ड्यूटी पर वापस हाजिर नहीं होगा जब तक कि छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है।

(2) सेवा-निवृत्त पूर्व छुट्टी पर गये हुए कर्मचारी के मामले में, जिस पद से वह सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर गया है उस पद पर उसे नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सम्मति को छोड़कर अन्यथा छुट्टी की अवधि की समाप्ति के पूर्व वह ड्यूटी पर वापस हाजिर नहीं होगा।

(3) जो कर्मचारी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी लिया है, वह जब तक प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से द्वितीय अनुसूची के प्रपत्र-4 में आरोग्यता

प्रमाणपत्र पेश नहीं करता है, ड्यूटी पर वापस हाजिर नहीं हो सकेगा.

22. (1) छुट्टी से वापस आने वाला कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पहले जो पद धारण करता था उसी पद पर नेमी स्वरूप पुनः कार्यग्रहण करने के लिए तब तक हकदार नहीं है जब तक उस प्रभाव का विनिर्दिष्ट आदेश न हो.

(2) ऐसा कर्मचारी उस प्राधिकारी को, जिसने उसे छुट्टी मंजूर की है, ड्यूटी पर अपनी वापसी की रिपोर्ट देगा और आदेश की प्रतीक्षा करेगा.

टिप्पणी : जो कर्मचारी तपेदिक से बीमार रहा है उसे आरोग्यता प्रमाणपत्र के आधार पर, जिसमें उसे हल्का कार्य दिए जाने की सिफारिश होती है, ड्यूटी पर वापस हाजिर होने की अनुमति दी जा सकेगी.

22. छुट्टी समाप्त होने के बाद अनुपस्थिति :

(1) जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी छुट्टी न बढ़ाये, जो कर्मचारी अपनी छुट्टी समाप्त होने के बाद भी अनुपस्थित रहता है वह ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए छुट्टी वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और यह अवधि उसके छुट्टी लेखे में जितनी अर्ध-वैतनिक छुट्टी शोध्य होगी उतनी सीमा तक अर्धवैतनिक छुट्टी के रूप में विकसित की जाएगी और इससे अधिक की छुट्टी की अवधि असाधारण छुट्टी के रूप में मानी जाएगी।

(2) छुट्टी की समाप्ति के बाद जानबूझकर की गई अनुपस्थिति कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही का दायी बनाती है.

अध्याय—4

शोध्य और अनुज्ञेय छुट्टी के प्रकार

24. अर्जित छुट्टी :

(1)(क) (एक) किसी कलेंडर वर्ष में कर्मचारी 30 दिनों का अर्जित छुट्टी का हकदार होगा.

(दो) प्रत्येक कर्मचारी के छुट्टी लेखे में प्रतिवर्ष पहली जनवरी और पहली जलाई को प्रत्येक बार 15 दिनों की दो किस्त अग्रिम में अर्जित छुट्टी जमा की जाएगी।

(ख) गत अर्ध वर्ष की समाप्ति पर कर्मचारी के खाते जमा छुट्टी इस शर्त पर अगले अर्ध वर्ष में अग्रेनीत की जायेगी कि इस प्रकार अग्रेनीत छुट्टी और अर्ध वर्ष की जमा छुट्टी मिलकर 240 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होती है.

(ग) असाधारण सेवा में बिताई गई अवधि की गणना इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी के रूप में की जायेगी, बशर्ते ऐसी अवधि के लिए छुट्टी वेतन के प्रति अंशदान अदा किया गया है।

(2) विनियम 5 और 33 तथा इस विनियम के उप विनियम (1) और (3) के उपबंधों के अध्यधीन एक बार में दी जाने वाली अर्जित छुट्टी अधिकतम 180 दिन होगा.

(3) वर्ग–1 या वर्ग–2 का पद धारण करने वाले कर्मचारी को 180 दिनों से अधिक किन्तु 240 दिनों से अनधिक अर्जित छुट्टी उस दशा में मंजूर की जा सकेगी यदि इस प्रकार मंजूर की जाने वाली कुल छुट्टी या उसका कोई भाग भारत के बाहर बिताया जाता है :

परंतु जहां इस उप-विनियम के अधीन 180 दिनों से अधिक अवधि की अर्जित छुट्टी मंजूर की गई है, तो भारत में बिताई गई इस छुट्टी की अवधि कुल मिलाकर उपर्युक्त सीमा से अधिक नहीं होगी.

25. अर्जित छुट्टी की गणना :

(1) जिस कलेंडर वर्ष में कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उस कलेंडर वर्ष के अर्ध वर्ष में कर्मचारी द्वारा की जाने वाली सेवा के प्रत्येक पूर्ण कलेंडर मास के लिए 2½ दिन की दर से कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी जमा की जाएगी।

(2)(क) जिस आधे वर्ष में कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से त्यागपत्र देता है उस आधे वर्ष में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तारीख तक पूरे हुए प्रति कलेंडर मास के लिए 2-1/2 दिन की दर से ही छुट्टी जमा की जाएगी

(ख) जब किसी कर्मचारी को सेवा से बरखास्त या पदच्युत किया जाता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस कलेंडर मास में वह सेवा से बरखास्त या पदच्युत किया जाता है उस कलेंडर मास से पूर्ववर्ती कलेंडर मास के अंत तक पूरे हुए प्रति कलेंडर मास के लिए 2-1/2 दिन की दर से अर्जित छुट्टी जमा की जायेगी.

(3) यदि किसी कर्मचारी ने अर्ध वर्ष में असाधारण छुट्टी ली है और/या कुछ अनुपस्थिति काल को अकार्य दिन माना गया है, तो अगले अर्ध वर्ष के प्रारम्भ में उसके छुट्टी खाते में स्तंभ 1 और 2 में जमा की जाने वाली छुट्टी में से उस छुट्टी का 1/10 वां भाग और/या अकार्य दिन इस शर्त के अध्यधीन घटा दिया जाएगा कि इस प्रकार घटाई गई छुट्टी 15 दिनों से अधिक न हो.

(4) अर्जित छुट्टी जमा करते समय दिन का भाग निकटतम दिन तक पूर्णांकित किया जाएगा.

26. अर्ध वेतन छुट्टी :

(1) प्रत्येक कर्मचारी के अर्ध वेतन छुट्टी खाते में प्रति कलेंडर वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर एक दस दिन की दो किस्तों में अग्राऊ अर्ध वेतन छुट्टी जमा की जाएगी.

(2)(क) जिस कलेंडर वर्ष में कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उस कलेंडर वर्ष के अर्ध वर्ष में कर्मचारी द्वारा की जाने वाली सेवा के प्रत्येक पूर्ण कलेंडर मास के लिए 5/3 दिन की दर से उक्त छुट्टी खाते में छुट्टी जमा की जाएगी.

(ख) जिस आधे वर्ष में कर्मचारी सेवानिवृत्त होने है या सेवा से त्यागपत्र देता है उस आधे वर्ष में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तारीख तक पूरे हुए प्रति कलेंडर मास के लिए 5/3 दिन की दर से उक्त छुट्टी खाते में छुट्टी जमा की जाएगी.

(ग) जब किसी कर्मचारी को सेवा से बरखास्त या पदच्युत किया जाता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस कलेंडर मास में वह सेवा से बरखास्त या पदच्युत किया जाता है उस कलेंडर मास से पूर्ववर्ती कलेंडर मास के अंत तक पूरे हुए प्रति कलेंडर मास के लिए 5/3 दिन की दर से अर्जित छुट्टी जमा की जाएगी.

(3) जहां अर्ध वर्ष में कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि "अकार्य दिन" मानी गई है, उस दशा में अगले अर्ध वर्ष के प्रारम्भ पर उसकी अर्ध वेतन छुट्टी में विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अधीन जमा की जाने वाली छुट्टी, "अकार्य दिन" की अवधि के अठ्ठारहवें भाग तक काम की जायेगी, जो कि अधिक से अधिक दस दिन की अवधि तक होगी.

(4) अर्ध वेतन छुट्टी जमा करते समय दिन का भाग निकटतम दिन तक पूर्णांकित किया जाएगा.

परंतु ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, जब तक छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे कर्मचारी को छोड़कर, जिसे आगे की सेवा के लिए पूर्णतया एवं सर्वदा के लिए असमर्थ घोषित किया गया है, यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह कर्मचारी ऐसी छुट्टी की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर पुनः हाजिर होगा, अर्ध वेतन छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी.

27. परिवर्तित छुट्टी :

(1) किसी कर्मचारी को, निम्न शर्तों के अध्यधीन, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर शोध्य अर्ध वेतन छुट्टी की आधी मात्रा से अनधिक परिवर्तित छुट्टी मंजूर की जा सकेगी;

(क) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का इस बारे में समाधान हो जाता है कि छुट्टी की समाप्ति के बाद कर्मचारी की ड्यूटी पर पुनः हाजिर होने की युक्तियुक्त संभावना है;

(ख) जब परिवर्तित छुट्टी मंजूर की जाती है तो दुगुनी मात्रा में यह छुट्टी शोध्य अर्ध वेतन छुट्टी में से विकलित की जाएगी;

(2) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणित किया गया हो कि यह छुट्टी पत्तन व्याम के लोक हित में अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए उपयोग में लाई जाएगी छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 180 दिनों तक अर्ध वेतन छुट्टी (चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना) परिवर्तित करने की अनुज्ञप्ति दे सकेगा.

(3) जिस कर्मचारी को परिवर्तित छुट्टी मंजूर की गई है यदि वह कर्मचारी ड्यूटी पर पुनः हाजिर हुए बिना सेवा से त्यागपत्र देता है या उसके अनुरोध पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, तो उस दशा में परिवर्तित छुट्टी को अर्ध वेतन छुट्टी माना जाएगा और परिवर्तित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी के छुट्टी वेतन में अंतर की राशि वसूल की जाएगी.

(4) जिस कर्मचारी को परिवर्तित छुट्टी मंजूर की गई है यदि उस कर्मचारी की छुट्टी के दौरान मृत्यु हो जाती है या सेवानिवृत्त हो जाता है या चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो उस दशा में उप-विनियम (3) का उपबंध लागू नहीं होगा.

टिप्पणी:—अर्जित छुट्टी शोध्य होते हुए भी कर्मचारी के अनुरोध पर परिवर्तित छुट्टी मंजूर की जा सकेगी.

28. अर्जनशोध्य छुट्टी :

(1) सेवा निवृत्तिपूर्व छुट्टी के मामले के सिवाय स्थायी कर्मचारी को पूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाणपत्र पर निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 360 दिनों तक अर्जन शोध्य छुट्टी मंजूर की जा सकेगी :

(क) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि छुट्टी समाप्ति के बाद कर्मचारी की ड्यूटी पर वापस लौटने की युक्तियुक्त संभावना है ;

(ख) वह तदन्तर जितनी अर्ध वेतन छुट्टी अर्जित करेगा उतनी मात्रा तक अर्जन शोध्य छुट्टी सीमित होगी;

(ग) तत्पश्चात् कर्मचारी जो अर्ध वेतन छुट्टी अर्जित करेगा उसके प्रति अर्जनशोध्य छुट्टी विकलित की जाएगी ।

(2) ऐसे अस्थायी कर्मचारी को भी जो क्षयरोग, कुष्टरोग, कैंसर या मानसिक रुग्णता से पीड़ित है संपूर्ण सेवाकाल में 360 दिनों से अनधिक अवधि की अर्जनशोध्य छुट्टी उप विनियम (1) के खंड (क) से (ग) तक की शर्तों की पूर्तता के अध्यधीन और निम्न शर्तों के अध्यधीन मंजूर की जा सकेगी अर्थात्:—

(क) कि कर्मचारी ने कम से कम एक वर्ष की सेवा पूरी की है ;

(ख) कि जिस पद से कर्मचारी छुट्टी पर जाता है वह पद ड्यूटी पर वह कर्मचारी हाजिर होने तक उत्सादित होने की संभावना नहीं है ; और

(ग) कि ऐसी छुट्टी की मंजूरी का निवेदन प्राधिकृत चिकित्सीय परिचालक द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित है ;

(घ) कर्मचारी तत्पश्चात् जो अर्धवेतन छुट्टी अर्जित करेगा उसके प्रति अर्जन शोध्य छुट्टी विकलित की जाएगी ।

(3) जहां कोई कर्मचारी जिसे अर्जनशोध्य छुट्टी मंजूर की गई है सेवा से त्यागपत्र देता है या उसके अनुरोध पर ड्यूटी पर हाजिर हुए बिना, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है तो उस दशा में अर्जनशोध्य छुट्टी रद्द कर दी जाएगी और उसका त्यागपत्र या सेवा निवृत्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को यह छुट्टी प्रारंभ हुई थी और छुट्टी वेतन वसूल किया जाएगा।

(4) जहां कोई कर्मचारी जो अर्जनशोध्य छुट्टी पर रहने के बाद ड्यूटी पर हाजिर होता है किन्तु यह छुट्टी अर्जित करने के पूर्व सेवा से त्यागपत्र देता है या सेवानिवृत्त होता है तो उस दशा में उसने तत्पश्चात् जितनी छुट्टी अर्जित नहीं की है उतनी छुट्टी के बराबर छुट्टी वेतन वापस करने के लिए दायी होगा :

परन्तु सेवानिवृत्ति यदि प्रशासकीय अथवा चिकित्सीय कारणों से हुई है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में खंड (3) या खंड (4) के अधीन छुट्टी वेतन वसूल नहीं किया जाएगा ।

29. असाधारण छुट्टी :

(1) किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में असाधारण छुट्टी मंजूर की जा सकेगी—

(क) जब कोई अन्य छुट्टी अनुज्ञेय न हो;

(ख) जब अन्य छुट्टी अनुज्ञेय हो किन्तु कर्मचारी असाधारण छुट्टी प्रदान किए जाने के लिए लिखकर आवेदन करता है ।

(2) जब तक कि अध्यक्ष मामले की आपवादिक परिस्थितियों के कारण अन्यथा अवधारित न करे किसी भी कर्मचारी को जो कि स्थायी कर्मचारी नहीं है एक बार में निम्न अवधि से अधिक असाधारण छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी—

(क) तीन मास;

(ख) जहां कर्मचारी ने खंड (क) के अधीन तीन मास की असाधारण छुट्टी सहित इन विनियमों के अधीन शोध्य और अनुज्ञेय प्रकार की छुट्टी की समाप्ति की तारीख को एक वर्ष की निरंतर सेवा की हो और इन विनियमों द्वारा यथापेक्षित ऐसी छुट्टी के निवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो उस दशा में छः मास,

(ग) जहां ऐसे कर्मचारी का जिसने एक वर्ष की निरंतर सेवा की हो निम्न किसी रोग का उपचार चल रहा हो तो उस दशा में अठारह मास—

(एक) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचालक द्वारा सिफारिश किए हुए सैन्क्टोरियम में फुप्फुसीय क्षयरोग या क्षयरोग मूल के फुप्फुसावरण शोथ का उपचार चल रहा हो;

टिप्पणी:—अठारह मास तक असाधारण छुट्टी की रियायत ऐसे कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी जो फुप्फुसावरण शोथ से बीमार और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा सिफारिश किए हुए अर्ह क्षयरोग विशेषज्ञ से अपने घर पर उपचार करवा रहा है और उस विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि वह उससे उपचार करवा रहा है और सिफारिश की गई छुट्टी की प्राप्ति पर उसका स्वास्थ्य सुधरने की युक्तियुक्त संभावना है ;

(दो) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा सिफारिश किए हुए अर्ह क्षयरोग विशेषज्ञ द्वारा शरीर के अन्य किसी भाग के क्षय-रोग का उपचार चल रहा हो;

(तीन) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचालक द्वारा सिफारिश किए हुए कुष्ठाश्रम में अथवा कुष्ठरोग के अस्पताल में अर्ह विशेषज्ञ द्वारा कुष्ठरोग का उपचार चल रहा हो;

(चार) प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा सिफारिश किए हुए संस्थान में अथवा विशेषज्ञ द्वारा कैंसर या मानसिक व्याधि का उपचार चल रहा हो ।

(घ) जहां ऐसे उच्च तकनीकी या व्यावसायिक अध्ययन के लिए, जिसके बारे में यह प्रमाणित किया गया हो कि वह बोर्ड के हित में है, छुट्टी मांगी गई हो, तो उस दशा में चौबीस मास; बशर्ते संबंधित कर्मचारी ने खंड (क) के अधीन तीन मास की असाधारण छुट्टी सहित इन विनियमों के अधीन किसी प्रकार की शोध्य और अनुज्ञेय छुट्टी की समाप्ति की तारीख को वर्ष तीन की निरंतर सेवा की है ।

(3) (क) जहां किसी कर्मचारी को उपविनियम (2) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट उपबंधों को शिथिल करके असाधारण छुट्टी मंजूर की जाती है, उस दशा में कर्मचारी से प्रपत्र-पांच में यह करार निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी कि यदि वह ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर हाजिर नहीं होता है अथवा ड्यूटी पर हाजिर होने के बाद 3 वर्षों की अवधि के पूर्व सेवा का त्याग करता है, तो उस दशा में ऐसी छुट्टी के दौरान बोर्ड द्वारा उपगत और किसी अन्य एजेंसी द्वारा उपगत वास्तविक व्यय की राशि तथा उस पर ब्याज़ वह बोर्ड को वापस करेगा ।

(ख) यह करार कर्मचारी की श्रेणी के या उससे उच्च श्रेणी के दो स्थायी कर्मचारियों की प्रतिभूति से समर्थित होगी ।

(4) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित केन्द्रों पर, पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए उप-विनियम (2) के उपबंधों को शिथिल करके छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा असाधारण छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।

(5) दो असाधारण छुट्टियों के बीच यदि अन्य किसी प्रकार की छुट्टी आती है, तो यह उप-विनियम (2) के प्रयोजनों के लिए निरंतर एक ही दौर की असाधारण छुट्टी समझी जाएगी ।

(6) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, छुट्टी के बिना अनुपस्थिति की अवधि भूतलक्षी प्रभाव से, असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकेगा ।

30. परिवीक्षाधीन व्यक्ति और शिक्षु के संबंध में छुट्टी :

(1) (क) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने परिवीक्षा पर पद धारण करने से अव्यवहित अधिष्ठायी तौर पर अपना पद धारण किया है, तो वह इन विनियमों के अधीन छुट्टी के लिए हकदार होगा ।

(ख) यदि किसी कारणवश परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव है, तो उसे मंजूर की जाने वाली छुट्टी—

(एक) जिस तारीख तक परिवीक्षाकाल मंजूर किया गया है या विस्तारित किया गया है, उस तारीख से आगे नहीं बढ़ेगी, या

(दो) उसे नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा जिस तारीख को उसकी सेवा समाप्त की जाती है ऐसी पूर्वतम तारीख से आगे नहीं बढ़ेगी ।

(2) किसी पद पर परिवीक्षा में नियुक्त किया गया व्यक्ति, अस्थायी या स्थायी पद पर अपनी नियुक्ति के अनुसार अस्थायी या स्थायी कर्मचारी के रूप में इन विनियमों के अधीन छुट्टी के लिए हकदार होगा :

परन्तु जहां ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी पद पर धारणाधिकार रखता है, वह इन विनियमों के अधीन स्थायी कर्मचारी के रूप में छुट्टी के लिए हकदार होगा ।

(3) कोई शिक्षु—

(क) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर, शिक्षुता के किसी वर्ष में एक मास से अनधिक अवधि के अर्ध वेतन के बराबर छुट्टी वेतन पर छुट्टी के लिए हकदार होगा ;

(ख) विनियम 21 के अधीन असाधारण छुट्टी के लिए हकदार होगा ।

31. सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजित व्यक्ति: सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजित व्यक्ति के मामले में इन विनियमों के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो कि वह अपने पुनः नियोजन की तारीख को प्रथमतः बोर्ड की सेवा में प्रविष्ट हुआ हो ।

32. सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी :

(1) किसी कर्मचारी को, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा, शोध्य अर्ध वेतन छुट्टी सहित शोध्य अर्जित छुट्टी के विस्तार तक, जो कि 240 दिनों से अधिक नहीं होगी, इस शर्त के अधीन कि यह छुट्टी सेवा-निवृत्ति की तारीख से आगे नहीं बढ़ेगी, सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

(2) (क) जहां ऐसा कोई कर्मचारी, जो कि अन्यत्र सेवा में है, सेवा-निवृत्ति पूर्व छुट्टी के लिए आवेदन करता है, उस दशा में छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी की सहमति से इतर विभाग नियोजक वह छुट्टी मंजूर या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकेगा ।

(ख) अन्यत्र सेवा के कर्मचारी को, सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार उसके खाते जमा अर्जित छुट्टी, विनियम 33 में उपबंधित रीत्या भुनाने की भी अनुमति होगी ।

33. सेवा-निवृत्ति/अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के समय या सेवा त्याग करने पर छुट्टी भुनाना:

(1) किसी कर्मचारी को--

(क) उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से आगे, या

(ख) उसकी ड्यूटी की अंतिम परिवरिति की तारीख से आगे, या

(ग) अपनी सेवा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देकर वह जिस तारीख को सेवा-निवृत्त होता है या उसे सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में वेतन और भत्ता देकर वह जिस तारीख को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा-निवृत्त किया जाता है, उस तारीख से आगे, या

(घ) सेवा से उसके त्यागपत्र की तारीख से आगे;

छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी ।

(2) (क) जहां कोई कर्मचारी अपनी सेवा के निबंधनों और शर्तों के अधीन सेवा-निवृत्ति के लिए विहित सामान्य आयु पूरी करने पर सेवा-निवृत्त होता है, उस दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख के अनुसार अधिकतम 240 दिनों के अध्यधीन उसके खाते जमा अर्जित छुट्टी यदि कोई है, के छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद प्रदान करने का आदेश जारी करेगा ।

(ख) खंड (क) के अधीन नकद समतुल्य राशि की गणना निम्न प्रकार की जाएगी और एक ही बार में भुगतान के तौर पर एकमुश्त राशि देय होगी ।

नकद समतुल्य--- सेवा निवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय वेतन और उस तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता / 30 × सेवा-निवृत्ति की तारीख के अनुसार खाते में जमा अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के दिनों की संख्या जो कि अधिकतम 240 दिनों के अध्यधीन होगी ।

(3) जो कर्मचारी निलंबनाधीन रहने के दौरान या उसके विरुद्ध अनुशासनिक अथवा दांडिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी होने पर सेवा-निवृत्ति होता है, ऐसे कर्मचारी के मामले में, यदि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का मत हो कि उसके विरुद्ध कार्यवाहियां समाप्त होने पर उसके पास से कोई राशि वसूलीय होगी, तो वह प्राधिकारी अर्जित छुट्टी के समतुल्य नकद राशि पूर्णतः या अंशतः रोक रख सकेगा । कार्यवाहियां समाप्त हो जाने पर वह, यदि कोई देय है, तो उसे समायोजित करने के बाद रोक रखी गई रकम प्राप्त करने के लिए पात्र होगा ।

(4) (क) जहां लोकहितार्थ किसी कर्मचारी का सेवाकाल उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे बढ़ाया गया है, तो उसे ---

(एक) विस्तारित अवधि में उस विस्तारित अवधि के संबंध में शोध्य अर्जित छुट्टी प्रदान की जाएगी । यह उस अर्जित छुट्टी के अतिरिक्त होगी जो कि विनियम 24 में यथाविहित अधिकतम 180 240 दिनों के अध्यधीन उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार उसके खाते जमा थी ।

(दो) विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद, सेवा-निवृत्ति की तारीख के अनुसार खाते में जमा अर्जित छुट्टी और विस्तारित अवधि में उपार्जित अर्जित छुट्टी मिलाकर उसमें से उक्त अवधि के दौरान ली गई अर्जित छुट्टी घटाकर शेष जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में, जो कि अधिकतम 240 दिनों तक होगी, उप-विनियम (2) में उपबंधित रीत्या समतुल्य राशि प्रदान की जाएगी ।

(ख) इस उप-विनियम के खंड (क) के उप-खंड (दो) के अधीन देय समतुल्य नकद राशि की गणना उपर्युक्त उप-विनियम (2) के खंड (ख) में उल्लिखित ढंग से की जाएगी ।

(5) जो कर्मचारी उप-विनियम (1) के खंड (ग) में उद्धृत रीत्या सेवा-निवृत्त होता है या सेवा-निवृत्त किया जाता है, ऐसे कर्मचारी को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा, से, उसके खाते जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में, जो कि अधिकतम 240 दिनों तक होगी और उसके खाते जमा कुल अर्ध वेतन छुट्टी के संबंध में नकद राशि प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि यह अवधि, जिस तारीख

को वह सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, उस तारीख और जिस तारीख को वह अपनी सेवा के निबंधनों और शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति की विहित आयु पूरी करने के बाद सामान्यतः सेवानिवृत्त होता, उस तारीख के बीच की अवधि से अधिक नहीं है । यह नकद राशि अर्जित छुट्टी के लिए यथा अनुज्ञेय छुट्टी वेतन और/या अर्धवेतन छट्टी के लिए अनुज्ञेय छुट्टी वेतन और कर्मचारी जिस तारीख को सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है उस तारीख को प्रवृत्त दर से प्रथम 240 दिनों के छुट्टी वेतन पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ता के समतुल्य होगी । जिस अर्ध वेतन छुट्टी की अवधि के लिए, यदि कोई हो, समतुल्य नकद राशि देय है उस अर्ध वेतन छुट्टी की अवधि के लिए अदा किए जाने वाले छुट्टी वेतन में हेसे पेंशन और पेंशन समतुल्य अथवा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन पर तदर्थ राहत/क्रमबद्ध राहत की कटौती की जाएगी । इस प्रकार संगणित राशि एकमुश्त और एकबार में भुगतान की जाएगी :

परन्तु अर्ध वेतन छुट्टी के घटक का छुट्टी वेतन यदि पेंशन और अन्य पेंशनी लाभ से कम पड़ता है, तो अर्ध वेतन छुट्टी का नकद समतुल्य मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी कर्मचारी को शास्ति के तौर पर अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त किया जाता है और अनुशासन-प्राधिकारी ने उसकी पेंशन की राशि (उपदान सहित) में कोई घटौती अधिरोपित नहीं की है, तो उस दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, उप-विनियम (2) के खंड (ख) में उल्लिखित रीत्या कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख के अनुसार, अधिकतम 240 दिनों के अध्यधीन, उसके खाते जमा अर्जित छुट्टी, यदि कोई है, के छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद प्रदान करने का आदेश जारी करेगा ।

(7) (क) (एक) जहां कर्मचारी की सेवा उसकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार सूचना देकर या सूचना के बदले में वेतन और भत्ता देकर, या अन्यथा समाप्त की जाती है, तो उस दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, वह जिस तारीख को सेवा से परिविरत होता है उस तारीख के अनुसार उसके खाते जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में, जो कि अधिकतम 240 दिनों तक होगी, उसे नकद समतुल्य प्रदान कर सकेगा ।

(दो) यदि कोई कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देता है या सेवा छोड़ देता है, तो उस दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, वह जिस तारीख को सेवा से परिविरत होता है उस तारीख के के अनुसार उसके खाते जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में उस छुट्टी के आधे तक, जो कि अधिकतम 120 दिनों तक होगी, उसे नकद समतुल्य प्रदान कर सकेगा ।

(तीन) जो कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के बाद पुनः नियोजित किया जाता है उसके मामले में पुनः नियोजन की समाप्ति पर, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से, पुनःनियोजन की समाप्ति की तारीख के अनुसार उसके खाते जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में, जो कि अधिकतम 240 दिनों तक होगी [इसमें वह अवधि भी सम्मलित है जिसे सेवानिवृत्त के समय भुनाने की अनुमति थी], उसे नकद समतुल्य प्रदान किया जा सकेगा.

(ख) खंड (क) के अधीन देय नकद समतुल्य की गणना उप-विनियम (2) के खंड (ख) में उल्लिखित ढंग से की जाएगी और खंड (क) के उप-खंड (तीन) के अधीन नकद समतुल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ पुनः नियोजन की समाप्ति की तारीख का वेतन वही वेतन होगा, जिसे पुनः नियोजन के पद के वेतनमान में पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ तथा उस वेतन के लिए समुचित महंगाई भत्ते के समायोजन के पूर्व किया गया ।

(8) सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में में छुट्टी के लिए नकद :— सेवा के दौरान कर्मचारी की की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके परिवार को उप-विनियम (10) में विनिर्दिष्ट ढंग से मृत्यु और सेवा-निवृत्ति उपदान के पेंशन समतुल्य में कोई कटौती किए बिना उस छुट्टी वेतन का जो किसी भी स्थिति में 240 दिन के छुट्टी वेतन से अधिक नहीं होगा, नकद समतुल्य अदा किया जाएगा, जो कि यदि उसकी मृत्यु न होती तो मृत्यु के ठीक पश्चात्-वर्ती तारीख को उसे शोध्य और अनुज्ञेय अर्जित छुट्टी पर जाने से उसे मिलता ।

(9) सेवा से अशक्तता होने की दशा में छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य :—जो कर्मचारी प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आगे की सेवा के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित किया जाता है उसे छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, सेवा से उसकी अशक्तता की की तारीख के अनसार शोध्य और अनुज्ञेय छुट्टी के के संबंध में छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य मंजूर कर सकेगा,

किया गया है ऐसी छुट्टी की अवधि का विस्तार उस तारीख से आगे नहीं है जिस तारीख को वह कर्मचारी अपनी सेवा के निबंधनों और शर्तों के अधीन सेवा निवृत्ति के के लिए विहित आयु पूरी करने के बाद सामान्यत: सेवा निवृत्त होता है. इस प्रकार देय नकद समतुल्य उप-विनियम (5) के अधीन यथासंगणित छुट्टी वेतन के बराबर होगा। तथापि जो कर्मचारी स्थायी सेवा में नहीं है उसे सेवा से उसकी अशक्तता की तारीख के अनुसार उसके खाते जमा अर्जवेतन छुट्टी के संबंध में छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य मंजूर नहीं किया जाएगा।

(10) कर्मचारी की मृत्यु आदि की दशा में छुट्टी वेतन के नकद समतुल्य की अदायगी।

सेवा के दौरान या सेवा निवृत्ति के पश्चात् या अंतिम रूप से ड्यूटी की परिविरति के पश्चात् किन्तु इस विनियम के अधीन देय छुट्टी वेतन का नकद समतुल्य वास्तविक रूप से प्राप्त करने के पूर्व कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में यह राशि उपदान प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति को देय होगी।

34. छुट्टी वेतन :

(1) उप विनियम (5) और (6) में यथा उपबंधित के सिवाय, जो कर्मचारी अर्जित छुट्टी पर जाता है वह अर्जित छुट्टी पर जाने के ठीक पूर्व उठाए गए वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार होगा।

(2) सेवाकाल के दौरान अर्जित छुट्टी भुनाना : निम्न शर्तों के अधयधीन कर्मचारी अर्जित छुट्टी भुनाने के लिए हकदार है :—

(एक) केवल अर्जित छुट्टी ही भुनाने योग्य होगी।

(दो) कलेंडर वर्ष में केवल एक बार भुनाने की अनुमति होगी। कर्मचारी के खाते में जमा छुट्टी के 50 प्रतिशत तक ही यह छुट्टी भुनाई जा सकती है और यह भुनाने के लिए कर्मचारी को साथ-साथ या कलेंडर वर्ष में कम से कम सात दिनों की छुट्टी लेनी होगी। भुनाई गई छुट्टी और ली गई छुट्टी का योग छुट्टी खाते में विकलित किया जाएगा।

(तीन) ऐसी भुनाई पर अनुज्ञेय राशि, छुट्टी वेतन और महंगाई भत्ता के समतुल्य होगी और इसकी अग्रिम अदायगी की जाएगी।

(चार) छुट्टी के बदले में अदा की जाने वाली राशि को किसी भी प्रयोजन के लिए परिलब्धियां नहीं समझा जाएगा। इसमें से ऋण, अग्रिम, आदि के प्रति वसूली नहीं की जाएगी।

(पांच) वर्ग-तीन और चार का कर्मचारी जब अपनी अर्जित छुट्टी भुनाने का आवेदन करे, तो उसे साथ-साथ सात दिन की अर्जित छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे पूरे कलेंडर वर्ष की अवधि में उतनी छुट्टी लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(छः) इस प्रयोजनार्थ, भुनाने की तारीख को कर्मचारी के खाते जमा छुट्टी में से, कलेंडर वर्ष में एक बार में जितने दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है या जितने दिनों की छुट्टी लेने का आशय है उतने दिन कम कर दिये जायेंगे और शेष बची छुट्टी के 50 प्रतिशत तक की छुट्टी भुनाने की अनुमति दी जाएगी।

(3) जो कर्मचारी अर्ध वेतन छुट्टी या अर्जन-शोध्य छुट्टी पर जाता है, वह उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट राशि के आधे के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार है.

(4) जो कर्मचारी परिवर्तित छुट्टी पर जाता है, वह उप विनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय राशि के बराबर छुट्टी वेतन का हकदार है।

(5) जो कर्मचारी असाधारण छुट्टी पर जाता है, वह छुट्टी वेतन का हकदार नहीं है।

(6) जिस कर्मचारी को पुनः नियोजन की अवधि में उसके द्वारा उपार्जित छुट्टी मंजूर की जाती है, ऐसे कर्मचारी के मामले में छुट्टी वेतन, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, उसके द्वारा उठाए गए वेतन पर आधारित होगा।

(7) इन विनियमों के अधीन देय छुट्टी वेतन, भारत में रुपयों में दिया जायेगा।

(8) (क) जो कर्मचारी सेवा-निवृत्त होता है या त्यागपत्र देता है, ऐसे कर्मचारी के मामले में, यदि ली गई छुट्टी की अवधि उसे इस प्रकार शोध्य जमा छुट्टी की अवधि से अधिक है, तो अधिक उठाए गए छुट्टी वेतन के संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

(ख) जहां पदच्युत या बरखास्त किए गए कर्मचारी या सेवाकाल के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाती है ऐसा कर्मचारी द्वारा ली गई अर्जित छुट्टी की मात्रा, उपविनियम 25 के खंड (ख) के

उपबंधों के अनुसार जमा छुट्टी की मात्रा से अधिक है, उस दशा में छुट्टी वेतन का अधिक भुगतान ऐसे मामलों में कर्मचारी को देय किसी राशि में से वसूल किया जाएगा ।

35. छुट्टी वेतन की अग्रिम अदायगी :

(1) अन्यत्र सेवा के कर्मचारी सहित जो कर्मचारी 30 दिनों से अनून अवधि के लिए छुट्टी पर जा रहा है, उसे आयकर, भविष्य निधि, मकान-किराया, अग्रिम वसूली, आदि संबंधी कटौतियों के अध्यधीन एक मास के वेतन तक छुट्टी वेतन और उस छुट्टी वेतन पर अनुज्ञेय भत्ता के बदले में अग्रिम अदा किया जा सकेगा ।

(2) ली गई छुट्टी के संबंध में छुट्टी वेतन के बिल में यह अग्रिम पूर्णतया समायोजित किया जाएगा । यदि अग्रिम पूर्णतया समायोजित नहीं किया जा सके है, तो उस सूरत में बकाया राशि अगले वेतन या/और छुट्टी वेतन की भुगतान में से वसूल किया जाएगा ।

(3) जिस कर्मचारी को छुट्टी वेतन अग्रिम की अदायगी की गई है यदि वह कर्मचारी किसी कारणवश छुट्टी पर नहीं जा सका है, तो अग्रिम की अदायगी पश्चातवर्ती मास के वेतन की अदायगी मानी जाएगी ।

अध्याय—5

विशेष प्रकार की छुट्टी

36. प्रसूति छुट्टी :

(1) महिला कर्मचारी को (शिशु सहित) जिसे दो जीवित बच्चे हैं, छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रसूति छुट्टी के प्रारंभ की तारीख से 90 दिनों की अवधि की प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।

(2) उसे इस अवधि में, छुट्टी पर जाने के ठीक पूर्व उठाए गए वेतन के बराबर छुट्टी वेतन अदा किया जाएगा ।

(3) गर्भपात या गर्भस्राव होने की स्थिति में, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर महिला कर्मचारी को (जीवित बच्चों की संख्या चाहे जो भी हो) 6 सप्ताह से अनधिक प्रसूति छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।

(4)(क) प्रसूति छुट्टी अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकेगी ।

(ख) चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा के होते हुए भी, यदि वैसा आवेदन किया गया है, तो अधिक से अधिक एक वर्ष तक किसी भी प्रकार की शोध्य और अनुज्ञेय छुट्टी (60 दिनों से अनधिक अवधि की परिवर्तित छुट्टी और असाधारण छुट्टी सहित), उप-नियम (1) के अधीन मंजूर की गई प्रसूति छुट्टी के साथ जोड़कर मंजूर की जा सकेगी ।

(5) प्रसूति छुट्टी का छुट्टी खाते के प्रति विकलित नहीं किया जाएगा ।

37. सांयोगिक पहुंचाई गई क्षति के लिए विशेष निःशक्तता छुट्टी :

(1) जो कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सांयोगिक पहुंचाई गई क्षति के कारण या अपने पदीय कर्तव्य का पालन करते हुए या अपनी पदीय स्थिति के परिणामस्वरूप पहुंची क्षति के कारण निःशक्त हुआ है, ऐसे कर्मचारी को (चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विशेष निःशक्तता छुट्टी मंजूर कर सकेगा ।

(2) जिस घटना के कारण ऐसी निःशक्तता पैदा हुई है वह घटना घटने के तीन महीनों के भीतर जब तक निःशक्तता की सूचना नहीं मिलती है या निःशक्त व्यक्ति वह सूचित करने में सम्यक् तत्परता नहीं बरतता है, यह छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी :

परंतु छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यदि निःशक्तता के कारण के बारे में समाधान हो जाता है, तो वह ऐसे मामलों में, जहां घटना घटने के तीन मास से अधिक अवधि के बाद निःशक्तता की सूचना मिलती है, छुट्टी मंजूर करने को अनुमति दे सकेगा ।

(3) जैसा कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक प्रमाणित करता है उतनी ही अवधि की छुट्टी मंजूर की जाएगी और किसी भी दशा में यह 24 महीनों से अधिक नहीं होगी ।

(4) किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ विशेष निःशक्तता छुट्टी जोड़ी जा सकेगी ।

(5) यदि बाद में निःशक्तता बढ़ जाये या उन्हीं परिस्थितियों में पुनः उत्पन्न हो जाए, तो विशेष निःशक्तता छुट्टी एक बार से अधिक मंजूर की जा सकेगी किंतु एक बार की निःशक्तता के फलस्वरूप यह छुट्टी 24 मास से अधिक मंजूर नहीं की जाएगी ।

(6) पेंशन के प्रयोजनार्थ सेवा की गणना करते समय विशेष निःशक्तता छुट्टी को छुट्टी गिना जाएगा और उप-नियम (7) के खंड (ख) के उपबंध के अधीन मंजूर की गई छुट्टी को छोड़कर, इसे छुट्टी खाते के प्रति विकलित नहीं किया जायेगा ।

(7) ऐसी छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन—

(क) उसी निःशक्तता के संबंध में इसके पहले मंजूर की गई इस प्रकार की छुट्टी की अवधि सहित ऐसी किसी निःशक्तता छुट्टी की अवधि के प्रथम 120 दिनों के लिए अर्जित छुट्टी के वेतन के समतुल्य होगा ।

(ख) ऐसी किसी छुट्टी की शेष अवधि के लिए अर्ध वेतन छुट्टी के छुट्टी वेतन के समतुल्य होगा :

परंतु किसी कर्मचारी का उसके विकल्प पर, खंड (क) के अनुसार 120 दिनों से अनधिक दूसरी अवधि का छुट्टी वेतन दिया जा सकेगा और उस दशा में छुट्टी की यह अवधि उसके अर्ध वेतन छुट्टी खाते में विकलित की जाएगी ।

(8) जिस कर्मचारी को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (1923 का 8) लागू होता है, ऐसे कर्मचारी के मामले में विनियम के अधीन देय छुट्टी वेतन की राशि में से उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन देय प्रतिकर की राशि घटा दी जाएगी।

38. आकस्मिक क्षति के लिए विशेष निःशक्तता छुट्टी:

(1) जो कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों का अनुपालन करते समय हुई आकस्मिक क्षति के कारण या ऐसे किसी विशेष कर्तव्य का, जिसकी वजह से उसके पद में आबद्ध साधारण जोखिम से अधिक रुग्णता या क्षति उसे पहुंच सकती है, अनुपालन करते समय हुई किसी रुग्णता के कारण निःशक्त हो जाता है, ऐसे कर्मचारी को भी, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी हो, विनियम 37 का उपबंध लागू होगा।

(2) ऐसे मामले में विशेष निःशक्तता छुट्टी की मंजूरी निम्न और शर्तों के अध्यधीन होगी :

(एक) कि रोग के कारण यदि कोई निःशक्तता हुई है, तो प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा यह अवश्य प्रमाणित होना चाहिए कि वह रोग उस विशेष ड्यूटी के कारण हुआ है; और

(दो) कि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की राय में यह निःशक्तता आपवादिक स्वरुप की है; और

(तीन) कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा सिफारिश की गई अनुपस्थिति की अवधि का इस विनियम के अधीन छुट्टी में और अंशतः अन्य प्रकार की छुट्टी में समावेश हो सकेगा और कि अर्जित छुट्टी पर अनुज्ञेय छुट्टी वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन पर मंजूर की जाने वाली विशेष निःशक्तता छुट्टी की अवधि 120 दिनों से अधिक नहीं होगी।

अध्ययन छुट्टी

39. अध्ययन छुट्टी मंजूर करने की शर्तें :

(1) इस विनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन किसी कर्मचारी को, बोर्ड की सेवा की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, ताकि वह कर्मचारी बोर्ड की सेवा में अपने कर्तव्यों से प्रत्यक्ष और सन्निकट का संबंध रखने वाले व्यावसायिक या तकनीकी विषय में उच्च अध्ययन का विषय का खास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भारत में या भारत के बाहर विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा कर सके।

(2) अध्ययन छुट्टी—

(एक) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यदि किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरे को प्रमाणित करता है कि वह बोर्ड की सेवा में कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने में अवश्य मददगार साबित होगा, तो ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरे के लिए जिसमें कर्मचारी नियमित अकादमिक अथवा अर्ध-अकादमिक पाठ्यक्रम में उपस्थित न हो, तब भी मंजूर की जा सकेगी; और

(दो) लोक प्रशासन के ढांचे या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययन के प्रयोजनार्थ निम्न शर्तों के अध्यधीन मंजूर की जा सकेगी, कि—

(क) वह विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम या अध्ययन दौरा छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए; और

(ख) कर्मचारी से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह वापस लौटने पर, अध्ययन छुट्टी के दौरान किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट दे।

(तीन) ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए मंजूर की जा सकेगी, जिसका कर्मचारी के कार्यों से निकट या प्रत्यक्ष का संबंध न हो किंतु इससे कर्मचारी की विचारधारा में ऐसी अभिवृद्धि हो सकती है जिससे कि कर्मचारी की योग्यता बढ़े और वह उस प्रकार की सेवा में लगे हुए कर्मचारियों के साथ बेहतर संपर्क तालमेल बनाए। यह छुट्टी इस शर्त के अध्यधीन मंजूर की जाएगी कि ये अध्ययन पाठ्यक्रम छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

टिप्पणी:—यदि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाणित करता है कि अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में चिकित्सा अधिकारी की क्षमता बढ़ाने के लिए यह अध्ययन मूल्यवान साबित हो सकता है, तो चिकित्सा अधिकारी को चिकित्साशास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकेगी।

(3) यदि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह प्रमाणित करता है कि इस अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने से विशेषज्ञ या, यथास्थिति, तकनीकी कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में हो रहे आधुनिक विकास से अवगत रह सकता है, अपना तकनीकी स्तर और कौशल बढ़ा सकता है और इस प्रकार इससे बोर्ड को काफी लाभ हो सकता है, तो विशेषज्ञ या तकनीकी कर्मचारी को, प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर, ऐसा स्नातकोत्तर अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए, जो कि परोक्ष रूप से उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित है, अध्ययन छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।

(4) यदि प्रस्तावित अध्ययन भारत के बाहर पूरा करना है तो उस दशा में, जब तक भारत सरकार अध्ययन छुट्टी की मंजूरी पर लगने वाली आवश्यक विदेशी मुद्रा देने पर राजी नहीं होती है, अध्ययन छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी ।

(5) जिन विषयों के अध्ययन के लिए भारत में या भारत सरकार द्वारा चलाई गई किसी योजना के अधीन पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है ऐसे विषयों का भारत के बाहर अध्ययन के लिए अध्ययन छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी ।

(6) अध्ययन छुट्टी ऐसे कर्मचारी को मंजूर की जा सकेगी,—

(एक) जिसने परिवीक्षा काल संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया है और बोर्ड के अधीन परिवीक्षा काल समेत कम से कम पांच वर्ष की नियमित लगातार सेवा की है,

(दो) छुट्टी समाप्त होने के बाद जिस तारीख को ड्यूटी पर हाजिर होना है उस तारीख से तीन वर्षों के भीतर जो बोर्ड की सेवा में अधिवर्षिता आयु पर नहीं पहुंचता है, और

(तीन) जो उप-विनियम (10) में यथा अधिकथित बंध-पत्र निष्पादित करके यह वचन देता है कि छुट्टी की समाप्ति के बाद वह तीन वर्षों की अवधि तक बोर्ड की सेवा करेगा ।

(चार) जो अपने मूल निकाय की सहमति से अन्यत्र सेवा पर है ।

(7) किसी कर्मचारी को इतनी बार छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी जिससे कि उसका अपने नियमित कार्य से तारतम्य ही टूट जाए ।

(8) अध्ययन छुट्टी की अधिकतम मात्रा : किसी कर्मचारी को मंजूर की जाने वाली अध्ययन छुट्टी की अधिकतम मात्रा—

(एक) किसी एक बार में सामान्यतः बारह मास होगी , और

(दो) पूर्ण सेवाकाल में कुल मिलाकर चौबीस मास होगी ।

(9) अध्ययन छुट्टी के लिए आवेदन-पत्र :

(1) अध्ययन छुट्टी का प्रत्येक आवेदन छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कर्मचारी अपने अध्ययन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों और प्रस्तावित किसी परीक्षा का उल्लेख करेगा और यदि आवेदन में पूरा ब्यौरा देना कर्मचारी के लिए संभव न हो या, यदि भारत से जाने के बाद वह भारत में अनुमोदित पाठ्यक्रम में कोई फेर-बदल करना चाहता है, तो वह यथासंभव शीघ्र छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को इसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा और यह फेर-बदल यदि वह अपनी जिम्मेदारी पर करने के लिए तैयार न हो, तो जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने संबंधी अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, वह अध्ययन आरंभ नहीं करेगा या इस पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में कोई खर्च नहीं करेगा ।

(10) (एक) जिसे अध्ययन छुट्टी अथवा ऐसी अध्ययन छुट्टी में विस्तार मंजूर किया गया है, ऐसे प्रत्येक स्थायी कर्मचारी को, मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी या बढ़ाई गई अध्ययन छुट्टी प्रारंभ होने से पूर्व प्रपत्र-छः में करार निष्पादित करना होगा ।

(दो) जिसे अध्ययन छुट्टी अथवा ऐसी अध्ययन छुट्टी में विस्तार मंजूर किया गया है, ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जो स्थायी नियोजन में नहीं है, मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी या बढ़ाई गई अध्ययन छुट्टी प्रारंभ होने से पूर्व प्रपत्र-पाँच में करार निष्पादित करना होगा ।

(11) अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा हो जाने पर, कर्मचारी छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाणपत्र या विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें पाठ्यक्रम प्रारंभ और समाप्त होने की तारीख तथा उस अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रभारी प्राधिकारी की यदि कोई टिप्पणी है, तो उसका उल्लेख होगा ।

(12) अध्ययन छुट्टी का लेखा जोखा और अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाना: अध्ययन छुट्टी कर्मचारी के छुट्टी खाते के प्रति विकलित नहीं की जाएगी ।

(13) अध्ययन छुट्टी अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर दी जा सकेगी किन्तु किसी भी सूरत में असाधारण छुट्टी से अन्य किसी प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाकर दी गई इस छुट्टी के कारण कर्मचारी की नियमित ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि अठ्ठाईस मास से अधिक नहीं होगी । पी. एच. डी. की उपाधि के लिए किए जाने वाले अध्ययन के मामले में इस सीमा को 36 मास तक बढ़ाया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम में विहित 28/36 मास की अनुपस्थिति की कालावधि में अवकाश काल सम्मिलित है:

परन्तु अध्ययन पाठ्यक्रम के समय आने वाली ऐसी छुट्टी की कालावधि को अध्ययन छुट्टी नहीं माना जाएगा।

(14) अध्ययन पाठ्यक्रम की कालावधि से अधिक की अध्ययन छुट्टी का विनियमन : जब कर्मचारी को मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी से अध्ययन पाठ्यक्रम की कालावधि कम हो, तो जब तक छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से कम हुई अंतर की अवधि साधारण छुट्टी के रूप में मानने की पूर्व मंजूरी नहीं ली जाती है, वह कर्मचारी अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ड्यूटी पर हाजिर होगा ।

(15) अध्ययन छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन: भारत के बाहर ली गई अध्ययन छुट्टी की कालावधि में कर्मचारी, ऐसी छुट्टी पर जाने के ठीक पहले जो वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त किया था उसी के बराबर, छुट्टी वेतन प्राप्त करेगा । अध्ययन छुट्टी में कर्मचारी को इस विनियम के उपबंधों के अनुसार यथाअनुज्ञेय मकान किराया भत्ता और अध्ययन भत्ता भी अदा किया जाएगा ।

(16) (एक) भारत में ली गई अध्ययन छुट्टी की कालावधि में कर्मचारी, ऐसी छुट्टी पर जाने के ठीक पहले बोर्ड के अधीन अपनी ड्यूटी पर जो वेतन प्राप्त किया था उसी के बराबर, छुट्टी वेतन प्राप्त करेगा । अध्ययन छुट्टी में कर्मचारी को इस विनियम के उपबंधों के अनुसार यथा अनुज्ञेय महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी अदा किया जाएगा ।

(दो) कर्मचारी द्वारा इस अभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही उसे कोई छात्रवृत्ति वृत्तिका अथवा किसी अंशकालिक नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक नहीं मिलता है उसे खंड (एक) के अधीन पूर्ण दर पर छुट्टी वेतन की अदायगी की जाएगी ।

(तीन) अध्ययन छुट्टी की कालावधि में छात्र-वृत्ति वृत्तिका अथवा किसी अंशकालिक नियोजन के संबंध में कर्मचारी यदि कोई राशि प्राप्त करता है तो वह राशि, इस शर्त के अध्यधीन कि छुट्टी वेतन घटाकर अर्धवेतन छुट्टी में देय छुट्टी वेतन की राशि से कम नहीं किया जाएगा, इस उप-विनियम के अधीन देय छुट्टी वेतन प्रति समायोजित की जाएगा ।

(17) अध्ययन भत्ता मंजूर करने की शर्तें :

(एक) जिस कर्मचारी को केवल भारत के बाहर अध्ययन के लिए अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है ऐसे कर्मचारी को मान्यताप्राप्त संस्थान में एक निश्चित अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने में अथवा किसी विशेष वर्ग के कार्य के निरीक्षण के निश्चित दौरे में बिताई गई कालावधि के लिए और अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किसी परीक्षा की कालावधि के लिए, अध्ययन भत्ता मंजूर किया जाएगा ।

(दो) यदि उसे बोर्ड द्वारा मंजूर की गई या किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य व्यक्ति संस्था या निकाय से प्राप्त ऐसी छात्रवृत्ति, वृत्तिका या पारिश्रमिक की राशि (छात्र-वृत्ति या वृत्तिका या पारिश्रमिक की राशि में से कर्मचारी यदि कोई फीस अदा करता है, तो फीस की लागत घटाने के बाद हिसाब की गई राशि), अन्यथा अनुज्ञेय अध्ययन भत्ता की राशि से अधिक है, तो उस दशा में अध्ययन भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(तीन) यदि छात्रवृत्ति या वृत्तिका या पारिश्रमिक की सकल राशि अन्यथा अनुज्ञेय अध्ययन भत्ता से कम है, तो उस दशा में छात्र-वृत्ति या वृत्तिका या किसी अंशकालिक नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक की सकल राशि और अध्ययन भत्ता के अंतर की राशि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की जाएगी ।

(18) जिस अवधि में कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए अध्ययन रोक रखता है उस अवधि के लिए अध्ययन भत्ता मंजूर नहीं किया जाएगा :

परन्तु बीमारी के कारण यदि अध्ययन में विघ्न उत्पन्न हुआ है तो उस दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी विघ्न की इस कालावधि में एक बार में 14 दिनों से अनधिक अवधि का अध्ययन भत्ता मंजूर करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(19) अध्ययन पाठ्यक्रम की अवधि में आने वाले संपूर्ण अवकाशकाल के लिए भी इन शर्तों के अध्यधीन भत्ता मंजूर किया जाएगा कि—

(एक) छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्देशन में कर्मचारी अवकाशकाल में किसी विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम की पढ़ाई करता है या व्यावहारिक प्रशिक्षण के लेता है ;

(दो) ऐसे किसी निर्देश के अभाव में वह छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस बात का समाधानकारक सबूत पेश करता है कि अवकाशकाल में उसने अपना अध्ययन चालू रखा है :

परन्तु अध्ययन पाठ्यक्रम के अंत में आने वाले अवकाशकाल के संबंध में अधिकतम 14 दिनों की अवधि का अध्ययन भत्ता मंजूर किया जाएगा ।

(20) जिस अवधि के लिए अध्ययन भत्ता मंजूर किया जा सकेगा वह अवधि 24 मास से अधिक नहीं होगी ।

(21) अध्ययन भत्ता की दरें :
अध्ययन भत्ता की दरें ऐसी होंगी जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं ।

(22) अध्ययन भत्ता की अदायगी की प्रक्रिया :

अध्ययन भत्ता की अदायगी कर्मचारी द्वारा समुचित प्राधिकारी से उपस्थिति का/के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी और कर्मचारी द्वारा इस अभाव का भी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी उसे कोई छात्रवृत्ति वृत्तिका या किसी अंशकालिक नियोजन के संबंध में कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है ।

(23) कर्मचारी द्वारा यह लिखित वचन-पत्र दिए जाने के बाद ही कि उपस्थिति संबंधी अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर अथवा जिस कालावधि के लिए अध्ययन भत्ता का दावा किया गया है उस कालावधि का समुचित उपयोग किए जाने के बारे में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने में विफल रहने पर वह बोर्ड को अतिभुगतान की राशि वापस लौटा देगा, प्रत्येक मास के अंत में अध्ययन भत्ता अनंतिम रूप से अदा किया जाएगा ।

(24) अध्ययन भत्ता के अतिरिक्त भत्ता की अनुज्ञेयता :— जिस स्थान से कर्मचारी अध्ययन छुट्टी पर जाता है उस स्थान में समय-समय पर कर्मचारी को अनुज्ञेय दर से अध्ययन छुट्टी के प्रथम 120 दिनों के लिए मकान किराया भत्ता अदा किया जाएगा। उसके बाद इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, कि भारत में किराए पर लिए गए या अपनी मालिकी के आवास के संबंध में वह किराए या मकान-कर पर अब भी खर्च कर रहा है/रही है, 120 दिनों से आगे भी मकान किराया भत्ता अदा किया जाता रहेगा।

(25) किसी कर्मचारी को, मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी की कालावधि के संबंध में, अनुज्ञेय मकान-किराया भत्ता और जहां अनुज्ञेय हो, महंगाई भत्ता और अध्ययन भत्ता को छोड़कर कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(26) अध्ययन छुट्टी के दौरान यात्रा भत्ता :—जिस कर्मचारी को अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है उसे सामान्यतः यात्रा भत्ता अदा नहीं किया जाएगा किंतु आपवादिक मामले में, अध्यक्ष इस भत्ते की अदायगी की मंजूरी दे सकेगा।

(27) अध्ययनार्थ फीस का खर्च .—जिस कर्मचारी को अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है है उसे सामान्यतः अध्ययनार्थ लगनेवाली फीस का खर्च उठाना होगा किन्तु आपवादिक मामलों में, ऐसी फीस मंजूर करने की स्वीकृति दे सकेगा :

परंतु ऐसे कर्मचारी को किसी भी दशा में फीस का खर्च अदा नहीं किया जाएगा जिसे किसी भी स्रोत से छात्रवृत्ति या वृत्तिका या अंशकालिक नियोजन के संबंध में कोई पारिश्रमिक मिलता है।

(28) अध्ययन छुट्टी के पश्चात् त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति अथवा अध्ययन पाठयक्रम पूरा न करना :

(1) यदि कोई कर्मचारी अध्ययन छुट्टी समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर हाजिर हुए बिना

त्यागपत्र देता है या सेवा-निवृत्त होता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है अथवा ड्यूटी पर हाजिर होने के बाद तीन वर्षों की कालावधि के भीतर त्यागपत्र देता है या सेवा-निवृत्त होता है या सेवा छोड़ देता है अथवा चिकित्सीय कारणों को छोड़कर अन्यथा अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहा है अथवा उप-विनियम (II) के अधीन यथापेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, तो वह —

(क) छुट्टी वेतन, अध्ययन भत्ता, फीस का खर्च यात्रा तथा अन्य भत्ता और/अथवा बोर्ड द्वारा यदि कोई व्यय उपगत किया गया है, तो उस व्यय की वास्तविक राशि;

(ख) अध्ययन पाठ्यक्रम के संबंध में विदेशी सरकार, फाउंडेशन और ट्रस्ट जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा यदि कोई व्यय उपगत किया गया है, तो उस व्यय की वास्तविक राशि;

और पोर्ट ट्रस्ट के ऋण के संबंध में तत्समय प्रवर्तमान ब्याज की दर पर मांग की तारीख से उस पर देय ब्याज, उसका त्याग-पत्र स्वीकार किए जाने या सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा प्रदान किए जाने या सेवा छोड़ने के पूर्व, वापस करेगा :

परंतु जो कर्मचारी अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहता है ऐसे कर्मचारी के मामले में छोड़कर, इस विनियम की कोई भी बात—

(1) ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी, जिसे अध्ययन छुट्टी से ड्यूटी पर हाजिर होने के बाद चिकित्सीय कारणों से सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी गई है; या

(2) ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी, जिसे अध्ययन छुट्टी से ड्यूटी पर हाजिर होने के बाद किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सांविधिक अथवा स्वायत्त निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है और तत्पश्चात उक्त सांविधिक या स्वायत्त निकाय या संस्था में लोकहितार्थ उसे स्थायी रूप से आमेलित होने के लिए बोर्ड की सेवा से त्याग-पत्र देने की अनुज्ञा दी गई है।

(2) (क) उपर्युक्त खंड (1) में विनिर्दिष्ट कोई घटना घटने की दशा में, कर्मचारी द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी अथवा अध्ययन छुट्टी के साथ मिलाकर मंजूर की गई किसी अन्य प्रकार की छुट्टी को उस कर्मचारी के खाते अध्ययन छुट्टी के प्रारंभ की तारीख के अनुसार जमा नियमित छुट्टी में बदल दिया जाएगा और शेष बचा कोई छुट्टी, जो इस प्रकार बदली नहीं जा सकती, असाधारण छुट्टी मानी जाएगी।

(ख) उप-विनियम (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा वापस की जाने वाली राशि में से उप-खंड (क) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी वेतन की राशि घटा दी जाएगी।

(3) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि लोकहितार्थ या मामले अथवा मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो अध्यक्ष, कर्मचारी या किसी वर्ग के कर्मचारी द्वारा उप-विनियम (1) के अधीन वापस की जाने वाली राशि का अधित्यजन कर सकेगा या उसे कम कर सकेगा।

अध्याय—6

विविध

40. जिन विषयों का विनियमन में विशेष रूप से उपबंध नहीं है ऐसे विषयों के बारे में सरकारी नियमों की प्रयुक्ति: इन विनियमों या उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों में जिस मामले या विषय के लिए विशेष रूप में उपबंध नहीं है, ऐसे मामले या विषय के संबंध में, समय-समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 जहां तक कि वे विनियमों में असंगत न हों, लागू होंगे।

41. निर्वचन :—इन विनियमों के निर्वचन में जहां कोई सन्देह उत्पन्न हो, वह अध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

42. शिथिल करने की शक्ति :—जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विनियम के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह आदेश द्वारा, ऐसे कारणों के लिए, जिन्हें लिखा जायेगा, उस विनियम की अपेक्षाओं को ऐसे विस्तार तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अध्यधीन अभियुक्त या शिथिल कर सकेगा, जिन्हें वह किसी मामले का न्यायसंगत एवं साम्य ढंग से निपटान करने के लिए आवश्यक समझे।

प्रथम अनुसूची

[कृपया विनियम 3(1)(ख) देखिए]

छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

क्र.	पद का विवरण	छुट्टी के प्रकार और ऐसी छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	
		प्राधिकारी	छुट्टी के प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समस्त कर्मचारी	अध्यक्ष	समस्त प्रकार की छुट्टी.
2.	विभाग प्रमुखों से अन्य समस्त कर्मचारी	उपाध्यक्ष	—वही—
3.	प्रबंधक से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारी	संबंधित विभाग प्रमुख	विशेष निःशक्तता छुट्टी और अध्ययन छुट्टी को छोड़कर समस्त प्रकार की छुट्टी.
4.	वर्ग-तीन और वर्ग-चार के पद धारण करने वाले समस्त कर्मचारी	ठीक ऊपर का वर्ग-एक का वरिष्ठ अधिकारी, जिसे संबंधित विभाग का प्रमुख नामित करेगा।	समस्त प्रकार की शोध्य छुट्टी (अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, प्रसूति छुट्टी).

द्वितीय अनुसूची

(विनियम 12)

प्रपत्र—1

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

छुट्टी या छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम और कर्मचारी संख्या :
2. प्रथम नियुक्ति की तारीख और प्रथम नियुक्ति के समय पद :
3. धारण किया हुआ वर्तमान पद :
4. विभाग और अनुभाग :
5. वर्तमान वेतन :
6. आवेदित छुट्टी का स्वरूप :
7. छुट्टी की अवधि और जिस तारीख से छुट्टी चाहिए :
8. छुट्टी के पूर्व/या पश्चात् जोड़ा जाने वाला कोई अवकाश दिन :
9. छुट्टी लेने का कारण :

*10. मैं आगामी छुट्टी में वर्ष खंड 19 की सुविधा लेना चाहता हूं। 19 के लिए छुट्टी यात्रा रियायत

11. छुट्टी की अवधि में पता

*12. यदि मैं सेवा से त्यागपत्र देता हूं या स्वैच्छया सेवा-निवृत्ति लेता हूं, तो उस दशा में मैं वचन देता हूँ कि :
परिवर्तित छुट्टी में लिये गये छुट्टी वेतन और अर्धवेतन छुट्टी में अनुज्ञेय छुट्टी वेतन, जो कि यदि विनियम 27 का उप-विनियम (1) लागू न किया गया होता तो अनुज्ञेय था, के अंतर की राशि वापस करूंगा। अर्जन शोध्य छुट्टी में लिया गया छुट्टी वेतन वापस करूंगा, जो कि यदि विनियम 28 का उप-विनियम 1 लागू न किया गया होता तो अनुज्ञेय नहीं था।

* (जो लागू न हो उसे काट दें)

आवेदक का हस्ताक्षर
(तारीख सहित)

छुट्टी की अनुज्ञेयता संबंधी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित छुट्टी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (छुट्टी) विनियम, 1990 के विनियम क्र.——————————————————के अधीन अनुज्ञेय है/अनुज्ञेय नहीं है/——————————दिन के लिए अनुज्ञेय है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि वह छुट्टी पर न गया होता/गई होती, तो तारीख——————————से——————————तक की अवधि में वह——————————के रूप में कार्य करता रहता/करती रहती.

छुट्टी का लेखा रखने वाले
प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम
(तारीख सहित)

छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी का आदेश

आवेदित छुट्टी मंजूर की गई/मंजूर नहीं की गई/——————————————————दिन के लिए मंजूर की गई.

छुट्टी मंजूर करने वाले
प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम
(तारीख सहित)

टिप्पणी: 1. यदि एक से अधिक प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है और मंजूर की गई है, तो प्रत्येक प्रकार की छुट्टी की अवधि अलग-अलग लिखी जाएगी.

2. परिच्छेद 2 का प्रमाणपत्र केवल अस्थायी कर्मचारी के संबंध में दिया जाएगा।

118

प्रपत्र-1

(विनियम 13)

कर्मचारी का नाम और कर्मचारी संख्या————————————————

प्रथम नियुक्ति की तारीख और प्रथम नियुक्ति के समय धारण किया हुआ पद————————————

प्रथम नियुक्ति में स्थायी होने की तारीख————————सेवा-निवृत्ति/त्यागपत्र/सेवा से परिविरति की तारीख————

अर्जित छुट्टी

कलेंडर वर्ष के अर्ध वर्ष में सेवा का विवरण		कलेंडर वर्ष के अर्ध वर्ष में सेवा का पूर्ण मास	अर्ध वर्ष के आरंभ में जमा की गई छुट्टी	गत अर्ध कलेंडर वर्ष में ली गई असाधारण छुट्टी के दिनों की संख्या	घटाई जाने वाली छुट्टी (स्तंभ 5 में बताई गई कुल अवधि का दसवां भाग)	जमा की गई छुट्टी दिनों में (स्तंभ 4 + 11—6)
से	तक					
1	2	3	4	5	6	7

अर्ध वेतन छुट्टी

ली गई छुट्टी			छुट्टी से लौटने पर शेष छुट्टी (स्तंभ 7–10)	जमा छुट्टी		ली गई अर्ध वेतन छुट्टी		दिनों की संख्या
से	तक	दिनों की संख्या		अर्जित छुट्टी (दिनों में)	जमा शेष छुट्टी (स्तंभ 12 + 32)	से	तक	
8	9	10	11	12	13	14	15	16

अर्जन शोध्य छुट्टी

परिवर्तित छुट्टी			लोक हितार्थ प्रमाणित अध्ययन के लिए परिवर्तित छुट्टी			अर्ध वेतन में बदली गई परिवर्तित छुट्टी (स्तंभ 19 और 22 का दोगुना)	चिकित्सा प्रमाणपत्र पर		
से	तक	दिनों की संख्या	से	तक	दिनों की संख्या		से	तक	दिनों की संख्या
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

चिकित्सा प्रमाणपत्र पर से अन्यथा 180 दिनों तक सीमित			अर्जन शोध्य छुट्टी का कुल योग	कुल ली गई अर्ध वेतन छुट्टी	छुट्टी से लौटने पर अर्ध वेतन छुट्टी का जमाशेष	अन्य प्रकार की ली गई छुट्टी
से	तक	दिनों की संख्या				
27	28	29	30	31	32	

2

3

टिप्पणी 1.––शोध्य अर्जित छुट्टी दिनों में बताई जाएगी.

टिप्पणी 2.––किसी कलेंडर वर्ष के आधे वर्ष में कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, तो प्रत्येक पूर्ण कलेंडर मास के लिए 2½ दिन की दर से अर्जित छुट्टी जमा की जाएगी और दिन के भाग को निकटतम दिन संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा.

टिप्पणी 3.––स्तंभ 6 की प्रविष्टियां पूर्ण दिनों में होनी चाहिए. दिन के भाग को निकटतम दिन संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा.

टिप्पणी 4.––स्तंभ 33 में असाधारण छुट्टी की अवधि लाल स्याही से लिखी जाएगी.

प्रपत्र––3

(विनियम 16 देखिए)

छुट्टी या छुट्टी के विस्तार या परिवर्तित छुट्टी के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र

कर्मचारी का हस्ताक्षर––––––––––––––––––––

मैं–––––––––––––––––––– मामले की स्वयं सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के बाद एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी–––––––––––––––––––– जिन्होंने ऊपर हस्ताक्षर किया है, –––––––––––––––––––– से ग्रस्त हैं और मेरे विचार से उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए –––––––––––––––––––– से –––––––––––––––––––– अवधि तक ड्यूटी से अनुपस्थिति अत्यंत आवश्यक है.

प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का
हस्ताक्षर और मोहर

तारीख––––––––––––––––

टिप्पणी 1. रुग्णता का स्वरूप और संभाव्य कालावधि का उल्लेख किया जाए.

टिप्पणी 2. इस प्रपत्र का यथाशक्य बारीकी से पालन किया जाए और कर्मचारी का हस्ताक्षर लेने के बाद भरा जाए. प्रमाण-कर्ता अधिकारी यह प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि कर्मचारी के लिए अमुक स्थान से या को स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है, ऐसे प्रमाणपत्र केवल संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी के सुस्पष्ट वांछा पर ही दिये जायेंगे, जिसे कि ऐसे आधार पर आवेदन किए जाने पर यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि क्या सेवा के लिए आरोग्य होने के प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के समक्ष उपस्थित होना चाहिए.

टिप्पणी 3. यदि दूसरी चिकित्सीय राय की आवश्यकता हो, तो छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यथा संभव शीघ्र अन्य प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से कर्मचारी की दूसरी चिकित्सा परीक्षा करवाने की व्यवस्था करें और यह चिकित्सीय परिचारक रुग्णता के तथ्यों और सिफारिश की जाने वाली छुट्टी की मात्रा की आवश्यकता दोनों के बारे में राय व्यक्त करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ वह कर्मचारी से या तो अपने समक्ष या उसके द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा.

टिप्पणी 4. इस प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट कोई भी सिफारिश, कर्मचारी को जो छुट्टी अनुज्ञेय नहीं है ऐसी किसी छुट्टी का दावा करने का सबूत नहीं होगी.

प्रपत्र—4

[विनियम 21 देखिए]

ड्यूटी पर वापस हाजिर होने के लिए आरोग्यता संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र

कर्मचारी का हस्ताक्षर———

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी———की जिन्होंने ऊपर हस्ताक्षर किया है, बारीकी से जांच की और पाया है कि वह अपनी रुग्णता से स्वस्थ हो गये हैं/गई हैं और अब वह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की सेवा में अपना कर्त्तव्यभार संभालने के योग्य हैं. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने यह विनिश्चय करने के पूर्व इस मामले के उन मूल चिकित्सा प्रमाणपत्र (त्रों) और बयान (नों) की परीक्षा कर ली है जिन पर कि छुट्टी मंजूर की गई थी/बढ़ाई गई थी और यह विनिश्चय करते समय मैंने उन पर विचार किया है.

———

———

———

प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का हस्ताक्षर (मोहर सहित)

तारीख———

टिप्पणी.—इस मामले के जिन मूल चिकित्सा प्रमाणपत्र (त्रों) और बयान (नों) पर मूलतः छुट्टी मंजूर की गई थी या बढ़ाई गई थी उसे उपर्युक्त प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा. इस प्रयोजनार्थ मामले के मूल प्रमाणपत्र (त्रों) और बयान (नों) की दो प्रतिलिपियां तैयार की जाएं जिनमें से एक प्रतिलिपि संबंधित कर्मचारी के पास रहेगी.

प्रपत्र—5

[विनियम 21(3)(क) देखिए]

अस्थायी कर्मचारी के लिए बंधपत्र जिन्हें की विनियम 21 शिथिल करके अध्ययनार्थ असाधारण छुट्टी मंजूर की गई है.

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं———निवासी———जिला———,जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में इस समय———के रूप में नियोजित (जिसे इसमें आगे, "बाध्यताधारी" कहा गया है) और हम श्री/श्रीमती/कुमारी———आत्मज/आत्मजा/पत्नी———निवासी———और श्री/श्रीमती/कुमारी———आत्मज/आत्मजा/पत्नी———निवासी———(जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है), एतद्द्वारा संयुक्ततः और पृथक्तः स्वयं को और अपने संबंधित वारिस, निष्पादक और प्रशासक को आबद्ध करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें आगे "बोर्ड" कहा गया है) को मांग पर रु.———(रुपए———मात्र) की राशि मांग की तारीख से———% दर पर ब्याज के साथ अदा करेंगे अथवा यदि अदायगी भारत से अन्य किसी देश में की गई है, तो मांग की तारीख को उस देश और भारत के बीच शासकीय विनिमय दर पर संपरिवर्तित उस देश की करेंसी में उक्त राशि के समतुल्य रकम और उक्त राशि वसूल करने के लिए अटार्नी और मुवक्किल के बीच हुए समस्त खर्च और बोर्ड द्वारा उपगत किए जाने वाले अन्य सभी प्रभार एवं व्यय अदा करेंगे.

क्योंकि उक्त बोर्ड ने उपर्युक्त बाध्यताधारी————————————————————————
————————————————————————————————————
के अनुरोध पर उसे————————————————————————————में अध्ययन करने, हेतु तारीख————————————————से————————————————
मास————————————————दिन की अवधि की नियमित छुट्टी व तदुपरांत बिना वेतन और भत्ता असाधारण छुट्टी मंजूर किया है.

और क्योंकि उक्त बाध्यताधारी की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए बोर्ड ने प्रतिस्थानी नियुक्ति की है/बोर्ड को प्रतिस्थानी नियुक्ति करनी होगी.

और क्योंकि बोर्ड के संरक्षणार्थ बाध्यताधारी निम्न निबंधनों और शर्तों पर दो प्रतिभू के साथ यह बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ है.

और क्योंकि उक्त प्रतिभू उक्त बाध्यताधारी की ओर से प्रतिभू के रूप में यह बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हुए है.

अब ऊपर लिखी हुई बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त बाध्यताधारी उसे मंजूर की गई असाधारण छुट्टी की समाप्ति पर, ड्यूटी पर वापस हाजिर होने में विफल रहता है अथवा ड्यूटी पर हाजिर होने के बाद————————————वर्षों की अवधि के भीतर किसी भी समय सेवा से त्यागपत्र देता है या सेवा-निवृत्त होता है अथवा असाधारण छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर हाजिर हुए बिना सेवा छोड़ देता है अथवा जिस वेतन के लिए वह नियमों के अधीन हकदार है उस वेतन पर, जैसा कि बोर्ड अपेक्षा करे, किसी भी क्षमता में बोर्ड की सेवा करने से इंकार करता है, तो उस दशा में मांग की जाने पर उक्त बाध्यताधारी और उक्त प्रतिभू संयुक्ततः और पृथक्तः तुरंत रु.————————————की उक्त राशि मांग की तारीख से————————————प्रतिशत की दर पर ब्याज के साथ अदा करेगा.

और जब तक बाध्यताधारी और उक्त प्रतिभूगण यह अदायगी नहीं करते हैं उपर्युक्त लिखित बाध्यता पूर्णतया प्रवर्तमान रहेगी.

परंतु सदा ही यह कि प्रतिभू का दायित्व, समय प्रदान किया गया है इस कारण या बोर्ड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रविरति या विलोप के कारण (चाहे यह प्रतिभू की सहमति या जानकारी में या के बिना हुआ हो), ह्रासित या उन्मोचित नहीं होगा और न तो यह बोर्ड के लिए आवश्यक होगा कि उक्त प्रतिभू पर वाद चलाने के पूर्व वह बाध्यताधारी पर वाद चलाए.

यह बंधपत्र सभी प्रकार से तत्समय प्रवर्तमान भारत की विधियों द्वारा विनियमित होगा और जहां आवश्यक हो, एतद्धीन अधिकारों और दायित्वों का अवधारण भारत के समुचित न्यायालय द्वारा किया जाएगा.

तारीख————————————

साक्षी : 1. ————————————————

2. ————————————————, के समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी————————————
————————————————नाम के उपर्युक्त प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त.

साक्षी : 1. ————————————————

2. ————————————————, के समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी————————————
————————————————नाम के उपर्युक्त प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त.

साक्षी : 1. ————————————————

2. ————————————————, के समक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी————————————
————————————————नाम के उपर्युक्त प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त.

स्वीकृत

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के निमित्त
और उसकी ओर से

प्रपत्र—6

(विनियम 39 देखिए)

स्थायी कर्मचारी द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंध पत्र जब कि वह अध्ययन छुट्टी पर जा रहा हो/जब कि उसे अध्ययन छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी दी गई हो.

इस विलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं—————————————————————, निवासी——————————————————, जिला——————————————————, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इस समय——————————— के रूप में नियोजित, एतद्द्वारा स्वयं को और अपने वारिस, निष्पादक और प्रशासक को आबद्ध करता हूं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें आगे "बोर्ड" कहा गया है) को मांग पर रु.———————————(रुपए———————————————————मात्र) की राशि मांग की तारीख से——————————————%दर पर ब्याज के साथ अदा करूंगा और यदि अदायगी भारत से अन्य किसी देश में की गई है, तो मांग की तारीख को उस देश और भारत के बीच शासकीय विनिमय दर पर संपरिवर्तित उस देश की करेन्सी में उक्त राशि के समतुल्य रकम और उक्त राशि वसूल करने के लिए अटर्नी और मुवक्किल के बीच हुए समस्त खर्च और बोर्ड द्वारा उपगत किए जाने वाले अन्य सभी प्रभार एवं व्यय अदा करूंगा.

2. क्योंकि बोर्ड द्वारा मुझे तारीख——————————————से—————————————— अवधि की अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है जिसके प्रतिफलस्वरूप मैंने बोर्ड के पक्ष में रु.——————————————— (रु.———————————————————मात्र) का तारीख———————————का बंधपत्र निष्पादित किया है.

3. और क्योंकि बोर्ड ने मुझे और——————————————————अवधि तक अध्ययन छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी दी है.

4. और क्योंकि बोर्ड के संरक्षणार्थ मैं निम्नलिखित/और शर्तों पर यह बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हूं :

अब ऊपर लिखी हुई बाध्यता की शर्त यह है कि यदि मुझे मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी की अवधि/अध्ययन छुट्टी की बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर मैं, ड्यूटी पर वापस हाजिर होने में विफल रहता हूं अथवा अध्ययन छुट्टी की अवधि/अध्ययन छुट्टी की बढ़ाई गई अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर वापस हाजिर हुए बिना सेवा से त्यागपत्र देता हूं या सेवा-निवृत्त होता हूं या अन्यथा सेवा छोड़ देता हूं अथवा ड्यूटी पर वापस हाजिर होने के बाद 3 वर्षों की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र देता हूं या सेवा-निवृत्त होता हूं या सेवा छोड़ देता हूं अथवा चिकित्सीय कारणों को छोड़कर अन्यथा अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहता हूं या उत्तीर्ण की गई परीक्षा या पूरा किये गए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम का ऐसा प्रमाणपत्र पेश करने में विफल रहता हूं जिसमें कि पाठ्यक्रम के प्रारंभ और समाप्ति की तारीख लिखी हो और अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रभारी की यदि कोई टिप्पणी है तो वह लिखी हो, उस दशा में, मांग की जाने पर मैं तुरंत रु.———————————की उक्त राशि मांग की तारीख से———————% से की दर पर ब्याज के साथ अदा करूंगा.

5. और जब तक मैं यह अदायगी नहीं करता हूं, उपर्युक्त लिखित बाध्यता पूर्णतया प्रवर्तमान रहेगी.

6. यह बंधपत्र सभी प्रकार से तत्समय प्रवर्तमान भारत की विधियों द्वारा विनियमित होगा और जहां आवश्यक हो, एतद्धीन अधिकारों और दायित्वों का अवधारण भारत के समुचित न्यायालय द्वारा किया जाएगा.

तारीख———————————

साक्षी : 1. ———————————————————

2. ———————————————————, के समक्ष

श्री/श्रीमती/कुमारी———————————————————————————द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त.

स्वीकृत
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के निमित्त
और उसकी ओर से,

प्रपत्र—7

जो स्थायी नियोजन में नहीं है ऐसे कर्मचारी द्वारा अध्ययन छुट्टी पर जाते समय निष्पादित किया जाने वाला बंधपत्र.

(विनियम 39 देखिए)

इस त्रिलेख द्वारा सब लोगों को ज्ञात हो कि मैं————————————————————————, ————————————————————————निवासी ———————————— जिला————————————————, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में इस समय———————————— ————————————————के रूप में नियोजित (जिसे इसमें आगे "बाध्यताधारी" कहा गया है) और हम श्री/श्रीमती/कुमारी————————————————————————
आत्मज/आत्मजा/पत्नी ————————————————————————
निवासी ————————————————————————
और श्री/श्रीमती/कुमारी————————————————————————
आत्मज/आत्मजा/पत्नी ————————————————————————
निवासी ————————————————————————
(जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है), एतदद्वारा संयुक्ततः और पृथक्तः स्वयं को और अपने संबंधित वारिस, निष्पादक और प्रशासक को आबद्ध करता हूं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड (जिसे इसमें आगे "बोर्ड" कहा गया है) को मांग पर रु.————————————(रुपए————————————मात्र) की राशि मांग की तारीख से————————————% दर पर ब्याज के साथ अदा करेंगे अथवा यदि अदायगी भारत से अन्य किसी देश में की गई है, तो मांग की तारीख को उस देश और भारत के बीच शासकीय विनिमय दर पर संपरिवर्तित उस देश की करेन्सी में उक्त राशि के समतुल्य रकम और उक्त राशि वसूल करने के लिए अटर्नी और मुवक्किल के बीच हुए समस्त खर्च और बोर्ड द्वारा उपगत किए जाने वाले अन्य सभी प्रभार एवं व्यय अदा करेंगे.

2. क्योंकि बोर्ड द्वारा बाध्यताधारी को तारीख————————————से————————————अवधि की अध्ययन छुट्टी मंजूर की गई है जिसके प्रतिफलस्वरूप वह बोर्ड के पक्ष में रु.————————(रुपए———————— ————————————————मात्र) का तारीख———————————— का बंधपत्र निष्पादित किया है.

3. और क्योंकि बोर्ड ने उसे और————————————————अवधि तक अध्ययन छुट्टी बढ़ाने की मंजूरी दी है.

4. और क्योंकि बोर्ड के संरक्षणार्थ बाध्यताधारी निम्नलिखित/और शर्तों पर यह बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हुआ है :

अब ऊपर लिखी हुई बाध्यता की शर्त यह है कि यदि बाध्यताधारी को मंजूर की गई अध्ययन छुट्टी की अवधि/अध्ययन छुट्टी की बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर वह ड्यूटी पर वापस हाजिर होने में विफल रहता है अथवा अध्ययन छुट्टी की अवधि/अध्ययन छुट्टी की बढ़ाई गई अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर वापस हाजिर हुए बिना सेवा से त्यागपत्र देता है या सेवा-निवृत्त होता है या अन्यथा सेवा छोड़ देता है अथवा ड्यूटी पर वापस हाजिर होने के बाद 3 वर्षों की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र देता है या सेवा-निवृत्त होता है या सेवा छोड़ देता है अथवा चिकित्सीय कारणों को छोड़कर अन्यथा अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने में विफल रहता है या उत्तीर्ण की गई परीक्षा या पूरा किये गए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम का ऐसा प्रमाणपत्र पेश करने में विफल रहता है जिसमें कि पाठ्यक्रम के प्रारंभ और समाप्ति की तारीख लिखी हो और अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रभारी की यदि कोई टिप्पणी है तो वह

124

लिखी हो, उस दशा में मांग की जाने पर बाध्यताधारी तुरंत रु.————————————————की उक्त राशि मांग की तारीख से————————————————% की दर पर ब्याज के साथ अदा करेगा.

5. और क्योंकि उक्त प्रतिभूगण उक्त बाध्यताधारी के निमित्त प्रतिभू के रूप में यह बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं.

6. और जब तक उपर्युक्त बाध्यताधारी और प्रतिभूगण यह अदायगी नहीं करते हैं, उपर्युक्त लिखित बाध्यता पूर्णतया प्रवर्तमान रहेगी.

7. परंतु सदा ही यह कि प्रतिभू का दायित्व, समय प्रदान किया गया है इस कारण या बोर्ड अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रविरति या विलोप के कारण (चाहे यह प्रतिभू की सहमति या जानकारी में या के बिना हुआ हो), ह्रासित या उन्मोदित नहीं होगा और न तो यह बोर्ड के लिए आवश्यक होगा कि उक्त प्रतिभू पर वाद चलाने के पूर्व वह बाध्यताधारी पर वाद चलाए.

8. यह बंधपत्र सभी प्रकार से तत्समय प्रवर्तमान भारत की विधियों द्वारा विनियमित होगा और जहां आवश्यक हो, एतद्धीन अधिकारों और दायित्वों का अवधारण भारत के समुचित न्यायालय द्वारा किया जाएगा.

तारीख————————————

साक्षी : 1. ————————————————————

2. ————————————————————, के समक्ष

श्री/श्रीमती/कुमारी ————————————————————————————————

नाम के उपर्युक्त प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त.

साक्षी : 1. ————————————————————

2. ————————————————————, के समक्ष

श्री/श्रीमती/कुमारी ————————————————————————————————

नाम के उपर्युक्त प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त.

साक्षी : 1. ————————————————————

2. ————————————————————, के समक्ष

श्री/श्रीमती/कुमारी————————————————————————————————

नाम के उपर्युक्त प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षरित एवं परिदत्त.

स्वीकृत

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के निमित्त
और उसकी ओर से,

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1993

G.S.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approved the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Leave) Regulations, 1993 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/92-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST EMPLOYEES (LEAVE) REGULATIONS, 1993

In exercise of the powers conferred by Clauses (b) and (e) of Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port, hereby makes the following regulations, namely :

CHAPTER I

1. Short Title and Commencement :—(1) These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Leave) Regulations, 1993.

(2) They shall come into force from the date to be notified by the Central Govt. in the Gazette of India.

2. Extent of application :—Save as otherwise provided in these regulations, these regulations shall apply to employees appointed to the posts under the Board, but shall not apply to :—

(a) Persons in casual daily rated or part-time employment;

(b) Persons paid from contingencies;

(c) Persons on foreign service from other bodies;

(d) Persons employed on contract except when the contract provides otherwise;

3. Definitions :—(1) In these regulations unless the context otherwise requires—

(a) "Authorised Medical Attendant" means the authority as defined in the JNPT Employees (Medical Attendance and Treatment) Regulations.

(b) "authority competent to grant leave", in relation to a class of posts, means the authority specified against that class in column (3) of the first Schedule to these regulations as competent to grant the kind of leave specified in column (4) of the said Schedule against that class.

EXPLANATION

It shall be within the competence of an authority competent to grant leave to delegate the powers for the grant of leave conferred upon them under these regulations upon another authority subordinate to it.

(c) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of a Department" shall have the meanings respectively assigned to them in Major Port Trust Act, 1963.

(d) "Class I posts", "Class II posts", "Class III posts" and "Class IV posts" shall have the meanings respectively assigned to them in the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1988.

(e) "Completed years of service" or "one year's continuous service" means continuous service of specified duration under the Board and includes the period spent on duty as well as on leave including extraordinary leave.

(f) "Date of Retirement" or "date of his retirement" in relation to an employee, means the afternoon of the last day of the month in which the employee attains the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service.

(g) "Foreign Service" means service in which an employee receives his pay with the sanction of the appointing authority from any source other than the general account or pilotage account of the Board;

(h) "Form" means a Form appended to the Second Schedule to these regulations;

(i) "Permanent Employee" means an employee who is confirmed in the service of the Board.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees, General Conditions of Service Regulations shall have the meanings respectively assigned to them in the said Regulations.

4. Employees on transfer to foreign service :—(1) Employees to whom these regulations apply, shall continue to be governed by these regulations while on foreign service within India. In the case of employees on foreign service out of India these Regulations shall apply to the extent provided in the terms and conditions of foreign service.

(2) An employee on transfer on foreign service from other body shall remain subject to the leave rules which were applicable to him before such transfer.

(3) The employees transferred on foreign service may be granted leave by the foreign employer not exceeding two months at the end of completion of foreign service. However further, leave can only be granted by the appropriate leave sanctioning authority of the Board.

CHAPTER II

GENERAL CONDITIONS

5. Right to leave :—(1) Leave cannot be claimed as of right.

(2) When the exigencies of the service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it, but it shall not be open to that authority to, alter the kind of leave due and applied for except at the written request of the employee.

6. Regulation of claim to leave :—An employee's claim to leave is regulated by the regulations in force at the time the leave is applied for and granted.

7. Effect of dismissal, removed or resignation on leave at credit :—(1) Except as provided in regulation and this regulation, may claim to leave to the credit of an employee, who is dismissed or removed or who resigns from the Board's service, cease from the date or such dismissal, removed or resignation as the case may be.

(2) An employee, who is dismissed or removed from service and is reinstated on appeal or revision, shall be entitled to count for leave his service prior to dismissal or removal as the case may be.

(3) An employee, who having retired on compensation or invalid pension or gratuity is re-employed and allowed to count his past service for pension, shall be entitled to count his former service towards leave.

8. Commutation of one kind of leave into another :—(1) At the request of an employee, the authority which granted him leave may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time the leave was granted but the employee cannot claim such commutation as a matter of right.

(2) The commutation of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted to the employee, that is to say, any amount paid to him in excess shall be recovered or any arrears due to him shall be paid

NOTE :

Extra-ordinary leave granted on medical certificate or otherwise may be commuted retrospectively into

granted in combination with or in continuation of other kind of leave.

EXPLANATION :
gulations may be.

Casual leave which is not recognised as leave u these regulations shall not be combined with any c kind of leave admissible under these regulations

10. Maximum amount of continuous leave :— less the Chairman, in view of the exceptional circ stances of the case, otherwise, determines no empl shall be granted leave of any kind for contin period exceeding five years.

11. Acceptance of service or employment whil leave :—(1) An employee other than the empl who has been permitted to undertake casual lite work or service as an examiner or similar employ while on leave, including leave preparatory to re ment shall not take up any service or employ elsewhere including the setting up of a private pr sional practice as Accountant, Consultant or Leg Medical Practitioner, without obtaining the prev sanction of :—

(a) The Chairman, if the proposed servic employment lies elsewhere than in Indi

(b) The appointing authority if the prop service or employment lies in India.

(2) (a) An employee while on leave, other than l preparatory to retirement, shall not ord rily be permitted to take up any other vice or employment.

(b) If the grant of such permission is consid desirable in any exceptional case, the ployee may have his services under Board transferred temporarily to the c in which he is permitted to take up se or employment or may be required to re his appointment before taking up any c service or employment.

(c) An employee while on leave preparator retirement shall not be permitted to tak employment with a Govt. or Semi Govt Public or Autonomous Body and in event also leave Salary Payable for Le Preparatory to Retirement shall be the s as admissible under Regulation 32.

(d) Notwithstanding anything contained in clause (b), the Chairman may, in excepti cases and at his sole discretion, grant mission to employees in possesion of a tificate of Competency as Master c foreign-going ship or a Certificate of C petency as First Class Engineer (Motor) (Stream and Motor) to take up during t regular leave. outside service or emp

(i) that the employee while in service had any such dealing with the proposed employer as might provoke the suspicion that he had shown favour to the latter.

(ii) that the employee's duties will be such as might bring him in conflict with the Board.

(iii) that the employment is likely to lead to a violation of the provisions of Section 117 A of the Major Port Trusts Act, 1963.

(3) An employee whilst on leave preparatory to retirement is required, before the date of retirement to join services during such leave period in any post under the Board and is agreeable to return to duty the unexpired portion of the leave from the date of rejoining shall be cancelled. The leave so cancelled under Clause (a) shall be allowed to be encashed in the manner provided in sub-regulation of 33.

CHAPTER III

GRANT OF AND RETURN FROM LEAVE

12. Application of leave :—Any application for leave or for extension of leave shall be made in Form-I to the authority competent to grant leave.

13. Leave Account :—A leave account shall be maintained for each employee in Form-II.

14. Verification leave :—No leave shall be granted to an employee unless it is admissible to him.

15. Leave not to be granted in certain circumstances :—Leave shall not be granted to an employee whom a competent disciplinary authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from service or an employee under suspension.

16. Grant of leave on Medical Certificate :—(1) An application for leave on Medical Certificate made by an employee shall be accompanied by a Medical Certificate in Form-III given by an authorised Medical Attendant defining as clearly as possible the nature and probable duration of the illness.

(2) Authorised Medical Attendant shall not recommend the grant of leave in any case in which there appears to be no reasonable prospect that the employee will ever be fit to resume his duties and in such case, the opinion that the employee is permanently unfit for service under the Board shall be recorded in the Medical Certificate.

(3) The authority competent to grant leave may, at its discretion, secure a second medical opinion by requesting another authorised Medical Attendant to have the applicant medically examined at the earliest possible date.

(4) It shall be the duty of Authorised Medical Attendant to express opinion both as regards the facts of the illness and as regards the necessity for the amount of leave recommended and for that purpose he may require the applicant to appear before itself or before a Medical Officer nominated by it.

(5) The grant of Medical Certificate under this regulation does not by itself confer upon the employee concerned any right to leave; the Medical Certificate shall be forwarded to the authority competent to grant leave and the orders of that authority awaited.

(6) The authority competent to grant leave may, in its discretion, waive the production of a Medical Certificate in case of an application for leave for a period not exceeding 3 days at a time. Such leave shall not, however, be treated as leave on Medical Certificate and shall be debited against leave other than leave on medical ground.

17. Leave to an employee who is unlikely to be fit to return to duty.

(1) (a) When a Medical Officer has reported that there is no reasonable prospect that, the employee will ever be fit to return to duty, leave shall not necessarily be refused to such an employee.

(b) The leave may be granted, if due, by the authority competent to grant leave on the following conditions :—

(i) If an auhorised Medical Attendant is unable to say with certainty that the employee will never again be fit for service, leave not exceeding twelve months in all may be granted and such leave shall not be extended without further reference to an authorised Medical Attendant.

(ii) If an employee is declared by an authorised Medical Attendant to be completely and permanently incapacitated for further service, leave or an extension of leove may be granted to him after the report of an authorised Medical Attendant has been received, provided the amount of leave as debited to the leave account together with any period of duty beyond the date of the report of authorised Medical Attendant does not exceed six months.

(2) An employee who is declared by authorised Medical Attendant to be completely and permanently incapacitated for further service shall :—

(a) If he is on duty, be invalidated from service from the date of relief of his duties, which should be arranged without delay on receipt of the report of the authorised Medical Attendant, if however, he is granted leave under sub-regulaion (1), he shall be invalidated from service on the expiry of such leave;

(b) If he is already on leave, he will be invalidated from service on the expiry of that leave or extension of leave, if any, granted to him under sub-regulation (1).

18. Commencement and termination of leave :

Except as provided in regulation 19, leave ordinarily begins on the day on which the transfer of

charge is effected and ends on the day preceding that on which the charge is resumed.

19. Combination of Holidays with Leave :

(1) When the day, immediately preceding the day on which an employee's leave other than leave or medical certificate begins or immediately following the day on which his leave expires is a Holiday or one of a series of Holidays, the employee shall be deemed to have been permitted to (except in cases where for administrative reasons permission for prefixing|suffixing holidays to leave specifically withheld) to leave the Station at the close of the day before or return to it on the day following such holiday or series of holidays :

Provided that :—

(1) His handing over or assumption of charge does not involve the handing or taking over of securities or of moneys other than a permanent advance.

(ii) In the case of leave on Medical Certificate (a) When an employee is certified medically unwell to attend Office, holiday(s), if any, immediately preceding the day he is so certified shall be allowed automatically to be prefixed to leave and the holiday(s), if any, immediately succeeding the day he is so certified (including that day) shall be treated as part of the leave; and

(b) When an employee is certified medically fit for joining duty, holiday(s), if any, succeeding the day he is so certified (including that day) shall automatically be allowed to be suffixed to the leave and holiday(s), if any preceding the day he is so certified shall be treated as part of the leave.

(2) On condition that the departing employee remains responsible for the moneys in his charge, the Head of Department may in any particular case, waive the application of Clause (i) proviso to sub-regulation (1).

(3) Unless the authority competent to grant leave in any case otherwise directs —

(a) If holidays are prefixed to leave, the leave and any consequent rearrangement of pay and allowances take effect from the day after the holiday; and

(b) If holidays are suffixed to leave, the leave is treated as having terminated and any consequent rearrangement of pay and allowances take effect from the day on which the leave would have ended if holidays had not been suffixed.

Note : A weekly rest day or a compensatory leave granted in lieu of duty performed on Sunday or a holiday for a full day or an optional holiday may be treated as a holiday for the above purpose.

20. Recall to duty before expiry of leave :
In case an employee is recalled on duty before the expiry of his|her leave, such recall on duty shall be treated as compulsory and in all such cases the employee shall be entitled :—

(a) If he is in India, to be treated as on duty from the date he starts his or her return journey and also to draw :—

(i) travelling allowance as admissible for the journey; and

(ii) leave salary until he joins his post, at the same rate at which he would have drawn but for recall to duty.

(b) If the leave from which he is recalled is out of India to count the time spent on voyage as duty for purpose of calculating leave and to receive :—

(i) leave salary during the voyage to India and for the period from the date of landing in India to the date of joining his post at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty;

(ii) a free passage to India;

(iii) a refund of his passage from India if he has not completed half the period of his leave by the date of leaving for India on recall or three months whichever is shorter ;

(iv) travelling allowance as admissible for travel from the place of landing in India to the place of duty.

21. Return from Leave :

(1) An employee on leave shall not return to duty before the expiry of the period of leave granted to him unless he is permitted to do so by the authority which granted him leave.

(2) In case of an employee on leave preparatory to retirement he shall not return to duty before expiry of the period of leave save with the consent of the authority competent to appoint him to the post from which he proceeded on leave preparatory to retirement.

(3) An employee who has taken leave on Medical Certificate may not return to duty until he has produced a Medical Certificate of fitness from authorised Medical Attendant in Form IV of second schedule.

22. (1) An employee returning from leave is not entitled in the absence of specific orders to that effect to resume as a matter of course the post which he held before going on leave.

(2) Such employee shall report his return to duty to the authority which granted him leave and await orders.

Note : An employee who had been suffering from tuberculosis may be allowed to resume duty on the basis of fitness Certificate which recommends light work for him.

23. Absence after expiry of leave :

(1) Unless the authority competent to grant leave extends the leave, an employee who remains absent after the end of leave is entitled to no leave salary for the period of such absence and that period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave to the extent such leave is due the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave.

(2) Wilful absence from duty after the expiry of leave renders an employee liable to disciplinary action.

CHAPTER IV

TYPES OF LEAVE DUE AND ADMISSIBLE

24. Earned Leave :

(1)(a) (i) An employee shall be entitled to 30 days Earned leave in a Calendar Year.

(ii) The leave account of every employee shall be credited with Earned Leave in advance in two instalments of 15 days each on the first January and First July every year.

(b) The leave at the credit of an employee at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum limit of 240 days.

(c) A period spent in Foreign Service shall count as duty for purposes of this regulation, if contribution towards Leave Salary is paid on account of such period.

(2) Subject to the provisions of regulation 5 and 33 and Sub-regulation (1) and (3) of this regulation, the maximum Earned Leave that may be granted at a time shall be 180 days.

(3) Earned Leave may be granted to an emplyee holding a Class I or II post for a period exceeding 180 days, but not exceeding 240 days, if the entire leave so granted or any portion thereof is spent outside India.

Provided that where Earned Leave for a period exceeding 180 days is granted under this sub-regulation the period of such leave spent in India shall not in the aggregate exceed the aforesaid limit.

25. Calculation of Earned Leave :

(1) Earned leave shall be credited to the leave account of an employee at the rate of 2-1|2 days for each completed Calendar month of service which he is likely to render in a half year of the Calendar year in which he is appointed.

(2) (a) The credit for the half year in which an employee is due to retire or resign from the service shall be afforded only at the rate of 2-1|2 days per completed Calendar month upto the date of retirement or resignation.

(b) When an employee is removed or dismissed from service or dies while in services, credit of Earned Leave shall be allowed at the rate of 2-1|2 days per completed calendar month upto the end of the Calendar month preceding the Calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies while in service.

(3) If an employee has availed of extra-ordinary leave and|or some period of absence has been treated as dies-non in a half year, the credit under column 1 and 2 to be afforded to his leave account at the commencement of the next half year shall be reduced by 1|10th of such leave and|or dies non subject to the condition that the reduction so made is limited to the maximum of 15 days.

(4) While affording credit of Earned Leave, fractions of a day shall be rounded off to the nearest day.

26. Half Pay Leave :

(1) The Half Pay Leave account of every Employee shall be credited with Half Pay Leave in advance, in two instalments of ten days each on the first day of January and first day of July of every Calendar Year.

(2) (a) The Leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5|3 days for each completed calendar month of service which he is likely to render in the half year of the Calendar Year in which he is appoined.

(b) The credit for the half year in which an employee is due to retire or resigns from the service shall be allowed at the rate of 5|3 days per completed Calendar month upto the date of retirement or resignation.

(c) When an employee is removed or dismissed from service or dies while in service credit of Half Pay Leave shall be allowed at the rate of 5|3 days per completed Calendar month upto the end of the Calendar month preceding the Calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies in service.

(3) Where a period of absence or suspension of an Employee has been treated as "dies-non" in a Half-year, the credit under regulation (1) and Sub regulation (2) to be afforded to his half pay leave account at the commencement next half year shall be reduced by one-eighteenth of the period of "dies-non" subject to a maximum of ten days.

(4) While affording credit of half pay leave fraction of a day shall be rounded off to the nearest day.

Provided that in the case of an Employee not in permanent employee, no Half Pay Leave shall be granted unless the authority competent to grant leave has reasons to believe that the employee will return to duty on its expiry except in the case of an employee who has been declared completely and premanently incapacitated for further service.

27. Commuted Leave :—(1) Commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted on Medical certificate to an employee, subject to the following conditions :—

(a) the authority competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of the employee returning to duty on its expiry;

(b) when commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave due;

(2) Half pay leave upto a maximum of 180 days may be allowed to be commuted during the entire service (without production of Medical Certificate) where such leave is utilised for an approved course of study certified by the appointing authority to be in the public interest of the Port Trust by the leave sanctioning authority.

(3) Where an employee who has been granted commuted leave resigns from service or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty the commuted leave shall be treated as half pay leave and the difference between the leave salary in respest of commuted "leave and half pay leave shall be recovered.

(4) Where an employee who has been granted commuted leave dies while on leave or retires or is retired on medical ground the provision of the regulation (3) shall not apply.

Note : Commuted leave may be granted at request of the employee even when earned leave is due to him.

28. Leave not due:—(1) Save in the case of leave preparatory to retirement, leave not due may be granted to an employee in permanent employee limited to a maximum of 360 days during the entire service on Medical certificate subject to the following conditions :—

(a) The authority competent to grant leave is satisfied thf there is reasonable prospect of the employee returning to duty on its expiry;

(b) Leave not due shall be limited to the half pay leave he is likely to earn thereafter;

(c) Leave not due shall be debited against the half pay leave the employee may earn subsequently.

(2) Leave not due may also be granted to such of the temporary employee as are suffering from T. B., Leprosy, Cancer or Mental illness, for a period not exceeding 360 days during entire service subject to fulfilment of conditions in clauses (f) to (c) of sub-regulation (1) and also subject to the following conditions, namely :

(a) that the employees has put in a minimum of one year's service;

(b) that the post from which the employee proceeds on leave is not likely to be abolished till his return to duty; and

(c) that the request for grant of such leave is supported by a Medical Certificate issued by an authorised Medical Attendant.

(d) leave not due shall be debited against the half pay leave the employee may earn subsequently;

(3) Where in employee who has been granted leave not due resigns from the service or at his request is permitted to retire voluntarily without returning to duty, the leave not due shall be cancelled his resignation or retirement taking effect from the date on which such leave had commenced and the leave salary shall be recovered.

(4) Where an employee who having availed himself of leave not due, returns to duty but reaigns or retires from service before he has earned such leave he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave not been earned subsequently.

Provided that no leave salary shall be recovered under clause (3) or Clause (4) if the retirement is on administrative or medical grounds or in the event of his death.

29. Extraordinary Leave :(1) Extraordinary leave may be granted to an employee in special circumstances :—

(a) when no other leave is admissible;

(b) when other leave is admissible but the employee applies in writing for the grant of extraordinary leave.

(2) Unless the Chairman in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines no employee, who is not in permanent employ shall be granted extraordinary leave on any one occasion in excess of the following limits —

(a) three months;

(b) six months, where the employee has completed one year's continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these regulations, including three months extraordinary leave under clause (a) and his request for such leave is supported by a Medical Certificate as required by these regulations;

(c) eighteen months, where the employee who has completed one year's continuous service is undergoing treatment for —

(a) pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular origin in a sanctorium recommended by authorised Medical Attendant.

Note : The concession of extraordinary leave upto eighteen months shall be admissible also to an employee suffering from pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular origin who receive treatment at his residence under qualified tuber-

culosis specialist and produces a certificate signed by that Specialist recommended by an authorised Medical Attendant to the effect that he is under his treatment and that he has reasonable chances of recovery on the expiry of the leave recommended;

(ii) Tuberclosis of any other part of the body by a qualified Tuberculosis Specialist recommended by an authorised Medical Attendant;

(iii) Leprosy in a leprosy Institution or by a qualified Specialilist in Leprosy hospital recommended by an authorised Medical Attendant;

(iv) Cancer or for mental illness, in an Institution or by a Specialist recommended by an authorised Medical Attendant.

(d) twenty-four months, where the leave is required for the purpose of prosecuting higher tenhnical or professional studies which is certified to be in the board interest, provided the employee concerned has completed three year's continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these regulations including three months extraordinary leave under clause (a)

(3) (a) Where an employee is granted extraordinary leave in relaxation of the provisions contained in clause (d) of sub-regulation (2) he shall be required to execute an agreement in form-V to refund to the Board the actual amount of expendiure incurred by the Board during such leave plus that incurred by any other agency with interest thereon in the event of his not returning to duty on the expiry of such leave or quitting the service before a period of 3 years after return to duty.

(b) The Agreement shall be supported by Sureties from two permanent employees having a status comparable to or higher than that of the employee

(4) An employee belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe may, for the purpose of attending the pre-examination training course at the centres notified by the Govt. from time to time, be granted extraordinary leave by leave sanctioning authority in relaxation of the provisions of sub-regulation (2).

(5) The spells of extraordinary leave, if intervened by any other kind of leave, shall be treated as on continuous spell or extraordinary leave for the purposes of sub-regulation (2).

(6) The authority competent to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave.

30. Leave to probationer, a person on probation and an Apprentice:—(1) (a) A probationer shall be entitled to leave under these regulations, if he had held his post substantively otherwise than on probation.

(b) If, for any reason, it is proposed to terminate the service of a probationer, any leave which may be granted to him shall not extend—

(i) beyond the date on which the probationery period as already sanctioned or extended expires, or

(ii) beyond any earlier date on which his services are terminated by the Orders of an authority competent to appoint him.

(2) A person appointed to a post on probation shall be entitled to leave under these regulations as a temporary or a permanent employees according as his appointment is against a temporary or a permanent post;

Provided that where such person already holds a lien on a post before such appointment, he shall be entitled to leave under these regulations as a permanent employee.

(3) An Apprentice shall be entitled to—

(a) Leave on medical certificate on leave salary equivalent to half pay for a period not exceeding one month in any year of Apprenticeship;

(b) Extraordinary leave under Regulation 29.

31. Persons re-employed after retirement.—In the case of a person re-employed after retirement, the provisions of these regulations shall apply as if he had entered service of the Board for the first time on the date of his re-employment.

32. Leave preparatory to retirement.—(1) An employee may be permitted by the authority competent to grant leave to take leave preparatory to retirement to the exent of earned leave due, not exceeding 240 days, together with half pay leave due subject to the condition that such leave shall not extend the date of retirement.

(2) (a) Where an employee who is on foreign service applies for leave preparaory to retirement, the decision to grant or refuse such leave may be taken by foreign employer with concurrence of the leave sanctioning authority.

(b) An employee on foreign service shall also be allowed to encash earned leave at his credit on the date of retirement in the manner provided in Regulation 33.

33. Encashment of leave at the time of retirement/ compulsory retirement or on quitting of service.—

(1) No leave shall be granted to an employee beyond---

(a) the date of his retirement; or

(b) the date of his final cessation of duties; or

(c) the date on which he retires by giving notice to appointing authority or he is retired by appointing authority by giving him notice

or pay and allowances in lieu of such notice, in accordance with the terms and conditions of his service, or

(d) the date of his resignation from service.

(2) (a) Where an employee retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service, the authority competent to grant leave shall suo moto issue an order granting cash equivalent of leave salary, for earned leave, if any, at the credit of the employee on the date of his retirement, subject to a maximum of 240 days.

(b) the cash equivalent under clause (a) shall be calculated as follows and shall be payable in one lump sum as a one time settlement.

$$\text{Cash Equivalent} = \frac{\text{Pay admissible on the date of retirement plus Dearness Allowance admissible on that date} \times \text{Number of days of unutilised Earned Leave at credit on the date of retirement subject to maximum of 240 days.}}{30}$$

(3) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of Earned Leave in the case of an Employee who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him, if in the view of such authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him in conclusion of the proceedings against him. On conclusion of the proceedings, he will become eligible to the amount withheld after adjustment of dues if any.

(4) (a) Where the service of an employee has been extended in the interest of public service beyond the date of his retirement, he shall be granted—

(i) during the period of extension, such Earned leave due in respect of the period of such extension. In addition of the Earned leave which was at his credit on the date of his retirement subject to a maximum of 180/240 days as prescribed in Regulation 24.

(ii) After expiry of the period of extension, such equivalent in the manner provided in sub-regulation (2) in respect of Earned Leave at credit on the date of retirement, plus the earned leave earned during the period of extension, reduced by the earned leave availed of during such period subject to a maximum of 240 days.

(b) The cash equivalent payable under sub-clause (ii) of clause (a) of this sub-regulation shall be calculated in the manner indicated in clause (b) of sub-regulation (2) above

(5) An employee who retires or is retired from service in the manner mentioned in clause (c) of sub-regulation (1) shall be granted suo moto by the authority competent to grant leave, cash in respect of earned leave at his credit subject to a maximum of 240 days and also in respect of all the half pay leave at his credit provided the period does not exceed the period between the date on which he so retires or is retired from service and the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash shall be equal to the leave salary as admissible for earned leave and/or equal to the leave salary admissible for half pay leave plus dearness allowance admissible on the leave salary for the first 240 days, at the rate in force on the date the employee so retires or is retired from service. The pension and pension equivalent or other retirement benefits and ad-hoc relief/graded relief on pension shall be deducted from the leave salary paid for the period of half pay leave, if any, for which the cash equivalent is payable. The amount so calculated shall be paid in one lump sum one time settlemen No house rent allowance or city compensatory allowance shall be payable :

Provided that if leave salary for the half pay leave component falls short of pension and other pensionary benefit, cash equivalent of half pay leave shall not be granted.

(6) Where an employee is compulsorily retired as a measure of penalty and the disciplinary authority has not imposed any reduction in the amount of his pension (including Gratuity) the authority competent to grant leave shall suo moto issue an order granting cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at credit of the employee on the date of such retirement subject to a maximum of 240 days in the manner indicated in clause (b) of sub-regulation (2).

(7) (a) (i) Where the services of an employee are terminated by notice or by payment of pay and allowance in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted, suo moto by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date on which he ceases to be service subject to a maximum of 240 days.

(ii) If an employee resigns or quits service, he may be granted, suo moto by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date or cessation of service to the extent of half of such leave at his credit subject to a maximum of 120 days.

(iii) An employee who is re-employed after retirement may on termination of his re-employment, be granted, suo moto by the authority competent to grant leave cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of termination of re-employment subject to a maximum of 240 days (including the period for which encashment was allowed at the time of retirement).

(b) The cash equivalent payable under clause (a) shall be calculated in the manner indicated in clause (b) of sub-regulation (2) and for the purpose of computation of cash equivalent under sub-clause (iii) of clause (a), the pay on the date of termination of re-employment shall be the pay fixed in the scale of post of re-employment before adjustment of pension and pension equivalent of other retirement benefits and the dearness allowance appropriate to that pay.

(8) Cash of leave in case of death in service.—In case an employee dies while in service, the cash equivalent of the leave salary that the deceased employee would have got had he gone on earned leave that would have been due and admissible to him but for the death on the date immediately following the death and in any case not exceeding leave salary for 240 days, shall be paid to his family in the manner specified in sub-regulation (10) without any reduction on account of pension equivalent of Death-Cum-Retirement Gratuity.

(9) Cash equivalent of leave salary in case of invalidation from service.—An employee who is declared by an authorised Medical Attendant to be completely and permanently incapacitated for further service may be granted suo moto by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of leave due and admissible on the date of his invalidation from service, provided that the period of leave for which he is granted cash equivalent does not extend beyond the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash equivalent thus payable shall be equal to the leave salary as calculated under sub-regulation (5). An employee not in permanent employ shall not however, be granted cash equivalent of leave salary in respect of Half Pay Leave standing at his credit on the date of his invalidation from service.

10. Payment of cash equivalent of leave salary in case of Death etc. of employee : In the event of the death of an employee while in service or after retirement or after final cessation of duties but before actual receipt of its cash equivalent of leave salary payable under this regulation such amount shall be payable to the person nominated for receipt of Gratuity.

34. Leave Salary : (1) Except as provided in sub-regulation (5) and (6), an employee who proceeds on Earned Leave is entitled to leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on Earned Leave.

(2) Encashment of Earned Leave service : An employee is entitled for encashment of earned leave subject to the following conditions :

(i) Only earned leave will be encashable.

(ii) Encashment will be allowed only once a calender year. It will be limited to 50 per cent of the leave standing at the credit of an employee and will be subject to an employee available himself of minimum seven days' leave simultaneously or during the calendar year. The leave account will be debited by the total of leave encashed and availed.

(iii) The amount admissible on such encashment shall be equivalent of leave salary and dearness allowance and will be paid in advance.

(iv) The amount paid in lieu of leave shall not count as emoluments for any purposes. It shall not also be subjected to recoveries in respect of loans, advances etc.

(v) A Class-III and a Class-IV employee need not simultaneously avail 7 days earned leave when he applied for encashment of his earned leave but should be permitted to avail that much leave during the period of the calendar year.

(vi) For this purpose the leave at the credit of the employee on the date of encashment will be reduced by the number of days for which leave is applied for or intended to be availed of in one spell during the calendar year and encashment should be allowed to the extent of 50 per cent of the balance. In calculating 50 per cent as above fraction of a day, will be ignored.

(3) An employee on half pay leave or leave not due is entitled to leave salary equal to half the amount specified in sub-regulation (1).

(4) An employee on commuted leave is entitled to leave salary equal to the amount admissible under sub-regulation (1).

(5) An employee on extraordinary leave is not entitled to any leave salary

(6) In the case of an employee who is granted leave earned by him during the period of re-employment the leave salary shall be based on the pay drawn by him exclusive of the pension and pension equivalent of other retirement benefit.

(7) The leave salary payable under these regulation shall be drawn in rupees in India.

(8) (a) If in the case of an employee who retires or resigns from the service, the leave already availed by him is more than the credit so due to him necessary adjustment shall be made in respect of leave salary, if any overdrawn.

(b) Where the quantum of earned leave already availed of by an employee who is dismissed or removed from service or who dies while in service is in excess of the leave credit in accordance with the provisions of Clause (b) of sub-regulation 25, the over payment of leave salary shall be recovered in such cases from any amount payable to the employee.

35. Advance payment tf leave salary :

(1) An employee including an employee on foreign service proceeding on leave for a period not less than 30 days may be paid an advance in lieu of leave salary upto a month's pay and allowances admissible on that leave salary subject to deductions on account of Income tax, Provident Fund, House Rent, Recovery of advances etc.

(2) The advance should be adjusted in full in the leave salary bill in respect of the leave availed of. In case where the advance cannot be so adjusted in full the balance will be recovered from the next payment of pay or|and leave salary.

(3) If the employee to whom the advance payment of leave salary is made is unable to proceed on leave for any reason the payment will be treated as an advance payment of salary for the subsequent month.

CHAPTER V

SPECIAL KIND OF LEAVE

36. Maternity Leave :

(1) A female employee (including an Apprentice) with less than two surviving children may be granted Maternity leave by an authority competent to grant leave for a period of 90 days from the date of its commencement.

(2) During such period she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) Maternity leave not exceeding 6 weeks may also be granted to a female employee (irrespective of number of surviving children) in case of miscarriage or abortion on production of medical certificate from an authorised Medical Attendant.

(4) (a) Maternity leave may be combined with leave of any other kind.

(b) Notwithstanding the requirement of production of medical certificate, leave of the kind due and admissible (including commuted leave for a period not exceeding 60 days and leave not due) upto a maximum of one year may, if applied or, be granted in continuation of Maternity leave granted under sub-rule (1).

(5) Maternity leave shall not be debited against the leave account.

37. Special disability leave or injury, intentionally inflicted :

(1) The authority competent to grant leave may grant special disability leave to an employee (whether permanent or temporary) who is disabled by injury intentionally inflicted or caused by any person other than employee himself or sustained while performing his|her official duties or in consequence of his|her official position.

(2) Such leave shall not be granted unless the disability comes to notice within three months of the occurrence of an event to which it is attributed and the person disabled acted with due promptitude in bringing it to notice :

Provided that the authority competent to grant leave may, if it is satisfied as to the cause of the disability, permit leave to be granted in cases where the disability comes to notice more than three months after the occurrence of an event.

(3) The period of leave granted shall be such as is certified by an Authorised Medical Attendant and shall in no case exceed 24 months.

(4) Special disability leave may be combined with leave of any other kind.

(5) Special disability leave may be granted more than once if the disability is aggravated or reproduced in similar circumstances at a later date, but not more than 24 months of such leave shall be granted in consequence of any one disability.

(6) Special disability leave shall be counted as duty in calculating service for pension and shall not except the leave granted under the provision to clause (b) of sub-regulation (7), be debited against the leave account.

(7) Leave salary during such leave shall—

(a) for the first 120 days of any period of such disability leave including a period of such leave granted earlier in respect of same disability be equal to leave salary while on earned leave.

(b) for the remaining period of any such leave, be equal to leave salary during half pay leave;

Provided that an employee may, at his option be allowed leave salary as in clause (a), for period not exceeding another 120 days, and in that event the period of such leave shall be debited to his half pay leave account.

(8) The case of an employee to whom the Workmen's Compensation Act (8 of 1923) applits, the amount of leave salary payable under the regulation shall be reduced by the amount of compensation payable under clause (d) of sub-section (1) of Section 4 of the said Act.

38. Special Disability leave for accidental injury :

(1) The provision of regulation 37 shall apply also to an employee, whether permanent or temporary, who is disabled by injury accidentally incurred during the performance of his official duties, or by illness incurred while performing any particular duty, which has the effect of increasing his liability to illness or injury beyond the ordinary risk attaching to the post which he holds.

(2) The grant of special disability leave in such case shall be subject to the further conditions.

(i) that the disability, if any due to disease must be certified by an authorised Medical Attendant to be directly attributable to the particular duty; and

(ii) that the disability must be in the opinion of the authority competent to sanction leave, exceptional in character; and

(iii) that the period of absence recommended by an authorised Medical Attendant may be covered by leave under this regulation and in part by any other kind of leave and that the amount of special disability leave granted on leave salary equal to that admissible on Earned Leave shall not exceed 120 days.

STUDY LEAVE

39. Conditions for grant of Study Leave :

(1) Subject to conditions specified in this Regulation, study leave may be granted to an employee with due regard to the exigencies of Board's service by authority competent to grant leave to enable him to undergo, in or out of India, a special course of study consisting of higher studies or specialised training in a professional or a technical subject having a direct and close connection with the sphere of his duty in the Board's service.

(2) Study Leave may also be granted—

(i) for a course of training or study tour in which an employee may not attend a regular Academic or Semi-Academic course, if the course of training or the study tour is certified by authority competent to grant leave to be of definite advantage to the employee in performance of his duties in the Board's service; and

(ii) for the purpose of studies connected with the frame work or back ground of public administration subject to the conditions that—

(a) the particular study or study tour should be approved by the authority competent to grant leave; and

(b) the employee should be required to submit, on his return, a full report on the work done by him while on study leave.

(iii) for the studies which may not be closely or directly connected with the work of an employee but which are capable of widening his mind in a manner likely to improve his abilities as an employee and to equip him better to collaborate with those employed in similar service subject to the condition that such studies are approved by the authority competent to grant leave.

Note : A Medical Officer may be granted study leave for prosecuting a course of Post-Groduate study in Medical Sciences if authority competent to grant leave certifies to the effect that such study shall be valuable in increasing the efficiency of such Medical Officer in the performance of his duties.

(3) A Specialist or a technical employee may be granted study leave on merits of each case for prosecuting a Post-graduate course of study directly related to the sphere of his duty in case the authority competent to grant leave certifies that the course of study shall enable the Specialist or the technical employee as the case may be, to keep abreast with modern development in the field of his duty, improve his technical standards and competence and thus substantially benefit the Board.

(4) In case the proposed studies are to be undergone out of India then study leave shall not be granted unless the Govt. of India agrees to release necessary foreign Exchange involved in the grant of study leave.

(5) Study leave out of India shall not be granted for the prosecution of studies in subjects for which adequate facilities exist in India or under any of the schemes administered by the Govt. of India.

(6) Study leave may be granted to an employee—

(i) who has satisfactorily completed period of probation and has rendered not less than five years regular continuous service including the period of probation under the Board.

(ii) who is not due to reach the age of superannuation from the Board service within three years from the date on which he is expected to return to duty after the expiry of the leave, and

(iii) who executes bond as laid down in sub-regulation (10) Undertaking to serve the Board for a period of three years after the expiry of the leave.

(iv) who is on foreign service, with the concurrence of his parent body.

(7) Study leave shall not be granted to an employee with such frequency as to remove him from contract with his regular work.

(8) Maximum amount of Study Leave.—The maximum amount of study leave which may be granted to an employee shall be—

(i) Ordinarily twelve months at any one time and

(ii) during his entire service, twenty four months in all

(9) Applications for Study Leave.—Every application for study leave shall be submitted to the authority competent to grant leave specifying the course or courses of study contemplated by the employee and any examination which he proposes to undergo where it is not possible for the employee to give full details in his application, or if, after leaving India, he is to make any change in the course which was approved in India, he shall submit the particulars as soon as possible to the authority competent to grant leave and shall not unless prepared to do so at his own risk, commence the course of study or incur any expenses in connection therewith until he receives the approval of the authority competent to grant the leave for the changed course.

(10) (i) Every employee in permanent employ who has been granted study leave or extension of such study leave shall be required to execute an agreement

in Form VI before the study leave or extension of such study leave granted to him commences.

(ii) Every employee not in permanent employ who has been granted study leave or extension of such study leave shall be required to execute an agreement in Form VII before the study leave or extension of such study leave granted to him commences.

(11) On completion of the course of study, the employee shall submit to the authority which granted him the study leave, the Certificates of examinations passed or special course of study undertaken, indicating the date of commencement and termination of the course with the remarks, if any, of the authority in charge of the course of study.

(12) According of study leave and combination with leave of other kinds.—Study leave shall not be debited against the leave account of the employee.

(13) Study leave may be combined with other kinds of leave but in no case shall grant of this leave in combination with other leave, other than extraordinary leave, inpolve a total absence of more than twenty-eight months from the regular duties of the employee. This limit may be relaxed to 36 months in the case of study leading to the award of Ph. D. Degree.

Explanation : The limit of 28|36 months of absence prescribed in this sub-regulation includes the period of vacation.

Provided that the period of such leave coinciding with course of study shall not count as study leave.

(14) Regulation of study leave extending beyond course of study.—When the course of study falls short of study leave granted to an employee, he shall resume duty on the conclusion of the course of study, unless the previous sanction of the authority competent to grant leave has been obtained to treat the period of shortfall as ordinary leave.

(15) Leave salary during study leave : During the period of study leave availed of outside India, an employee shall draw leave salary equal to the pay that the employee drew while on duty under the Board immediately before proceeding on such leave including the Dearness allowance. House rent allowance and study allowance as admissible in accordance with the provisions of this regulation shall also be paid to an employee during study leave.

(16) (i) During the study leave availed of in India, an employee shall draw leave salary equal to the pay that an employee drew while on duty under the Board before proceeding on such leave Dearness allowance and house rent allowance as admissible in accordance with the provisions of this regulation shall also be paid to an employee during study leave.

(ii) Payment of leave salary at full rate under clause (i) shall be subject to furnishing of a Certificate by the employee to the effect that he is not in receipt of any Scholership, stipend or remuneration in respect of any part-time employment.

(iii) The amount if any, received by an employee during the period of study leave as Scholarship, stipend or remuneration in respect of any part-time employment shall be adjusted against the leave salary payable under this sub regulation subject to the condition that the leave salary shall not be reduced to an amount less than that payable as leave salary during half pay leave.

(17) Conditions for grant of study allowance.—(i) A study allowance shall be granted to an employee who has been granted study leave only for studies outside India for the period spent in prosecuting a definite course of study at a recognised institution or in any definite tour of inspection of any special class of work as well as for the period covered by any examination at the end of the course of study.

(ii) No study allowance shall be admissible in case the net amount of such Scholarship or stipend or remuneration (arrived at by deducting the cost of fees, if any, paid by the employee from the value of the Scholarship or stipend or remuneration) granted to him|her by Board or received by him|her from any other source or through any other person, institute or body exceeds the amount of study allowance otherwise admissible.

(iii) In case the net amount of Scholarship or stipend or remuneration is less than the study allowance otherwise admissible, the difference between the value of the net Scholarship or stipend or any other remuneration in respect of any part-time employment and the study allowance shall be granted by the authority competent to grant leave.

(18) Study allowance shall not be granted for a period during which an employee interrupts his course of study to suit his own convenience :

Provided that the authority competent to grant leave may authorise the grant of study allowance for a period not exceeding 14 days at a time during such interruption if it was due to sickness.

(19) Study allowance shall also be allowed for the entire period of vacation during the course of study subject to the conditions that—

(i) the employee attends during vacation any special course of study or practical training under the direction of the authority competent to grant leave.

(ii) in the absence of any such direction, he produces satisfactory evidence before the authority competent to grant leave that he has continued his studies during the vacation.

Provided that in respect of vacation falling at the end of the course of study, it shall be allowed for a maximum period of 14 days.

(20) The period for which study allowance may be granted shall not exceed 24 months.

(21) Rates of study allowance.—The rates of study allowance shall be as prescribed by the Central Govt. from time to time.

(22) Procedure for payment of study allowance.—Payment of study allowance shall be subject to the employee submitting certificate's of attendance from the proper authority and also subject to furnishing of a certificate by the employee to the effect that he is not in receipt of any Scholarship, stipend or any other remuneration in respect of any part-time employment.

(23) Study allowance shall be paid provisionally at the end of every month subject to an Undertaking in writing being obtained from the employee that he would refund to the Board over payment on his failure to produce the required certificate of attendance or his failure to satisfy the authority competent to grant leave about the proper utilization of the time spent for which study allowance is claimed.

(24) Admissibility of allowance in addition to study allowance.—For the first 120 days of the study leave, house rent allowance shall be paid at the rates admissible to the employee from time to time at the station from where he proceeded on study leave. The continuance of payment of house rent allowance beyond 120 days shall be subject to the production of a certificate to the effect that he|she continued to incur an expenditure on rent or house-tax in respect of residencial accommodation hired or owned by him in India.

(25) Except for house rent allowance as admissible and the dearness allowance and the study allowance, where admissible, no other allowance shall be paid to and employee in respect of the period of study leave granted to him.

(26) Travelling allowance during study leave.—An employee to whom study leave has been granted shall ordinarily not be paid travelling allowance but in exceptional case, the Chairman may sanction the payment of such allowance.

(27) Cost of Fees for study.—An employee to whom study leave has been granted shall ordinarily be required to meet the cost of fees paid for the study but in exceptional cases, the Chairman may sanction the grant of such fees;

Provided that in no case shall the cost of fees be paid to an employee who is in receipt of Scholarship or stipend from whatever source or any remuneration in receipt of part time employment.

(28) Resignation or retirement after study leave or non-completion of the course of study (1) If an employee resigns or retires or otherwise quits service without returning to duty after expiry of period of study leave or resigns or retire or quit service within a period of three years fater return to duty or fails to complete the course of study except on medical ground or unable to furnish the certificates as required under sub-regulation (11) he shall refund :—

(a) the actual amount of leave salary, study allowance, cost of fees, tarvelling and other allowance and|or expenses, if any, incurred by the Board.

(b) the actual amount, if any, of the cost incurred by other agencies, such as, foreign Governments, Foundations and for Trusts in connection with the course of study. Together with interest thereon from the date of demand at rates for the time being in force on Port Trust loans, before his resignation is accepted or permission to retire is granted or his quiting service.

Provided that except in the case of employee who fail to complete the course of study nothing in this regulation shall apply:—

(i) to an employee who, after return to duty from study leave, is permitted to retire from service on medical grounds; or

(ii) to an employee who, after return to duty from study leave is deputed to serve in any Govt. Semi Govt. Public Sector statutory or autonomous body under the control of a Govt. and is subsequently permitted to resign from service under the Board with a view to his permanent absorption in the said statutory or autonomous body or institution in the public interest.

(2) (a) In the event of happening any of the event specified in clause (1) above the study leave or any other kind of leave granted in combination with study leave availed of by such employee shall be converted into regular leave standing at his credit on the date on which the study leave commenced and the balance if any which cannot be so converted shall be treated as extraordinary leave.

(b) The amount to be refunded by the empoyee under sub-regulation (1) shall be reduced by the amount of Leave salary admissible under sub clause (a).

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) and sub-regulation (2), the Chairman, may, if it is necessary or expedient to do so, either in public interest or having regard to the peculiar circumstances of the case or class of cases, by order, waive or reduce the amount required to be refunded under sub-regulation (1) by an employee or a class of employee

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

40. Application of Government rules in matters not specifically provided for in regulations —

In any case or matter not specifically provided for in these regulations or in subsequent amendments thereof, the Central Civil Services (Leave) Rules 1972 as amended from time to time shall, in so far as they are not on consistent with present regulations shall apply.

41. Interpretation :

Where any doubt arises as to the Interpretation of these regulations, it shall be referred to the Chairman, whose decision thereon shall be final.

42. Power to relax :

Where the Chairman is satisfied that the operation of any of these regulations causes undue hardship in any particular case, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirements of that regulation to such extent and subject to such exceptions and conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

FIRST SCHEDULE

[Please refer regulation 3 (1) (b)]

Authorities competent to Grant Leave

Sr. No.	Description of post	Types of leave and the Authority competent to grant such leave.	
		Authority	Types of Leave
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	All Employees	S Chairman	All kinds of leave.
2.	All Employees other than heads of Departments.	Dy. Chairman.	-Do-
3.	All Employees below the level of Managers.	Heads of the Department concerned.	All kinds of leave excluding special disability Leave & study leave.
4.	All Employees holding Class III & Class IV posts.	Immediate superior Class I Officer to be nominated by Head of the Department concerned.	All kinds of leave due (Earned Leave, Half Pay Leave, Commutted Leave, Maternity Leave).

SECOND SCHEDULE

(REGULATION 12)

FORM I

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST.

APPLICATION FOR LEAVE OR EXTENSION OF LEAVE

1. Name of applicant and Employee Number :
2. Date of first appointment and post at the time of first appointment :
3. Post held at present :
4. Department and section :
5. Present Pay :
6. Nature of leave applied :
7. Period of leave and date from which leave required. :
8. Holidays if any proposed to prefixed/or suffixed to leave :
9. Grounds on which leave is applied for. :
*10. I propose to avail myself of leave travel concession for the block year 19 -19 during the ensuing leave. :
11. Address during leave period :
*12. In the event of my resignation or voluntary retirement from service, I undertake to refund :

The difference between the leave salary drawn during commutted leave and that admissible during half pay leave which would have been admissible had sub-regulation (1) of Regulation 27 not been applied.

The leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had sub-regulation 1 of Regulation 28 not been applied.

*(Score out whatever be not applicable.)

SIGNATURE OF APPLICANT
(with date)

CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

Certified that leave applied for————————is admissible/not admissible/admissible for———— days under Regulation No.———————————of the JNPT Employees (Leave) Regulations, 1990.

2. Certified that he/she would have continued to act as————————during the period from——————to——————but for his/her proceeding on Leave.

(——————————)
SIGNATURE (WITH DATE) DESIGNATION
of authority maintaining the leave account.

ORDER OF LEAVE SANCTIONING AUTHORITY

Leave applied for is sanctioned/not sanctioned/sanctioned for————————days.

(——————————)
SIGNATURE (WITH DATE) DESIGNATION
of authority sanctioning leave.

Note : 1. If more than one type of leave is applied for and is sanctioned, the period of each type of leave may be indicated separately.

2. The certificate in para 2 is to be given in respect of a temporary employee only.

FORM-II

(REGULATION 13)

FORM OF LEAVE ACCOUNT

Name of Employee and Employee Number...
Date of first appointment & post held at the time of first appointment ....
Date of confirmation in the first appointment............. .... Date of retirement/resignation/cessation of service...

EARNED LEAVE

Particulars of service in the half year of a calendar year.		Completed months of service in the half year of a Calendar year	Leave credited at the beginning of half year	Number of days of Extraordinary leave availed of during the previous calendar half year.	Leave to be deducted (1/10th of the period in Col. 5)	Total leave credit in days (Col 4+11—6)
From	To					
1	2	3	4	5	6	7

HALF PAY LEAVE

Leave taken.			Balance of leave on return from leave (col. 7—10)	Credit of Leave		From	Half Pay Leave taken	
From	To	Number of days		Leave earned (in days)	Leave at credit (col. 12+32)		To	Number of days.
8	9	10	11	12	13	14	15	16

Leave Not due									
commuted leave			Commuted leave for studies certified to be in public interest.			Commuted leave converted into half pay leave (Twice of col. 19 & 22)	On medical certificate		
From	To	No. of days	From	To	No. of days		From	To	No. of days
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Otherwise than on M.C. Limited to 180 days			Total of leave not due (col. 26+29)	Total half pay leave taken (col. 16+23+30)	Balance of half pay leave on return from leave (col. 13—31)	Other kinds of leave taken.
From	To	No. of days				
27	28	29	30	31	32	33

NOTE 1. — The Earned Leave due should be expressed in days.

NOTE 2. — When an employee is appointed during the course of half year of a particular calendar year, earned leave should credited at the rate of 2/1/2 days for each completed calendar month and the fraction of a day will be rounded to the nearest day.

NOTE 3. — The entries in column 6 should be in complete days. Fraction of a day will be rounded to the nearest day.

NOTE 4. — Period of extraordinary leave should be noted in red ink in column 33

FORM III

(See Regulation 16)

MEDICAL CERTIFICATE FOR LEAVE OR EXTENSION

OF LEAVE OR COMMUTATION OF LEAVE

Signature of the employee.....

I, ...after careful personal examination of the case hereby certify that Shri/Shrimati/Kumari.....whose signature is given above, is suffering from.....and I consider that a further period of absence from duty of.....with effect from.....is absolutely necessary for the restoration of his/her health.

(.....)

Signature and Stamp of Authorised Medical Attendant.

Date.....

NOTE 1. The nature and probable duration of the illness should be specified.

NOTE 2. This Form should be adhered to as closely as possible and should be filled in after the signature of the employee has been taken. The certifying officer is not at liberty to certify that the employee require a change from or to a particular locality, or that he is not fit to proceed to a particular locality. Such certificates should only be given at the explicity desire of the administrative authority concerned, to whom it is open to decide, when an application on such ground has been made to him, whether the applicant should go before a authorised medical attendant to decide the question of his/her fitness for service.

NOTE 3. Should a second medical opinion be required, the authority competent to grant leave should arrange for the second medical examination to be made at the earliest possible date by another authorised medical attendant, who shall express an opinion both as regards the facts of illness and as regards the necessity for the amount of leave recommended and for this purpose he may either require the employee to appear before himself or before a medical officer nominated by himslef.

NOTE 4. No recommendation contained in this certificate shall be evidence of a claim to any leave not admissible to the employee.

FORM IV

(See Regulation 21)

MEDICAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR RETURN TO DUTY

Signature of Employee.....I do hereby certify that, I have carefully examined Shri/Shrimati/Kumari.....whose signature is given above, and find that he/she has recovered from his/her illness and is now fit to resume duties in JNPT service. I also certify that before arriving at this decision, I have examined the original medical certificate(s) and statement(s) of the case on which leave was granted/extended and have taken them in consideration while arriving at my decision.

_____

_____

_____

_____

Signature of Authorised Medical Attendant (With Stamp)

Dated.....

Note.—The original medical certificate(s) and statement (s) of the case on which the leave was originally granted or extended shall be produced before the authority required to issue the above certificate. For this purpose, the original certificate(s) and statement(s) of the case should be prepared in duplicate, one copy being retained by the employee concerned.

FORM V

[See regulation 29(3) (a)]

BOND FOR TEMPORARY EMPLOYEE GRANTED EXTRAORDINARY LEAVE IN RELAXATION OF REGULATION 29 FOR STUDY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I.....resident of .... in the district of.....at present employed as.....in the Jawaharlal Nehru Port Trust.....(hereinafter called "the Obligor") and we Shri/Shrimati/Kumari..... son/daughtter/wife of..... .....resident of.....and Shri/Shrimati/Kumari..... .....son/daughter/wife of.....resident or.....(hereinafter called 'the surities') do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs executors and administrators to pay to the Board of trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust of (hereinafter called the Board) on demand the sum of Rs.....(Rupees.....only) together with interest at the rate of.....from the date of demand or

if the payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange on the date of demand between that country and India AND TOGETHER with all costs between the attorney and client and all charges and expenses that may be incurred by the Board for recovering the said amount.

WHEREAS the said Board has at the request of the above said Obligor.....
.....granted him/her regular leave, followed by extraordinary leave without pay and allowances, for a period of.....months.....
.....days with effect from..... in order to enable him/her to study at.....

AND WHEREAS the Board has appointed/will have to appoint a substitute to perform the duties of the said obligor during his/her absence.

AND WHEREAS for the protection of the Board the obligor has agreed to execute this bond with two sureties on the following terms and condition.

AND WHEREAS the said sureties have agreed to execute this bond as sureties on behalf of the said obligor.

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of the said obligor failing to resume the duty on the expiry of the period of extraordinary levave granted to him/her or resigning or retiring from service at any time within a period of.....years after returning to duty or otherwise quitting service without returning on duty after the expiry of period of extraordinary leaves or refusing to serve the Board in any capacity as may be required by the Board on a salary to which he/she would be entitled under the rules, said obligor and for the said sureties jointly and severally shall forthwith pay to the Board on demand the said sum of Rs.....together with interest at.....% thereon from the date of demand.

AND until the obligor and the said sureties aforesaid making such payment the above written obligation shall remain in full force.

PROVIDED always that the liability of the sureties shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any act of for bearance, or omission of the Board or any person authorised by them (whether with or without the consent or knowledge of the sureties) nor it shall be necessary for the Board to sue the obligor before suing the said sureties.

The bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities thereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Dated this.....day of.....Signed and delivered by the obligor above named Shri/Shrimati/Kumari.....in the presence of withnesses 1 .....

2 .....

Signed and delivered by the Surety above named Shri/Shrimati/Kumari.....in the presence of withnesses : 1*.....

2*.....

Signed and delivered by the surety abovenamed Shri/Shrimati/Kumari.....in the presence of witnesses :1.....

2.....

ACCEPTED
For and on Behalf of the Jawaharlal Nehru Port Trust.

FORM VI

(See Regulation 39)

BOND TO BE EXECUTED BY AN EMPLOYEE IN PERMANENT EMPLOYEE WHEN PROCEEDINGS ON STUDY LEAVE/WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY LEAVE

KNOW ALL men by these presents that I.....Resident of.....
in the District of.....at present employed as.....in the Jawaharlal Nehru Port Trust do hereby bind myself and my heirs, executors and administrators to pay to the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust (hereinafter called the 'Board') on demand the sum of Rs.....
(Rupees.....only) together with interest thereon from the date of demand at the rate of.....% if payment is made in the country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange on the date of demand between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that may have been incurred by the Board recovering the said amount.

2. WHEREAS I am granted study leave by the Board for a period of.....from.....
in consideration of which I executed a bond dated.....Rs.....(Rupees.....)
in favour of the Baord.

3. AND WHEREAS the extension of study leave is granted to me by the Board for a further period of.....
until.....

4. AND WHEREAS for the protection of the Board I have agreed to execute this bond on following further condition as hereunder written :

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT, in the event of my failing to resume the duty on the expiry of the period of sutudy leave granted to me/for the extended period of study leave granted to me or resigning or retiring or otherwise quitting service without returning to duty after expiry of period/extended period of sutudy leave or resigns or retire or quits service within a period of a 3-year after retura to duty or fails to complete the course of study except on medical ground or furnish the certificate of examination passed or special course of a study undertaken indicating the date of commencement and termination of the course with the remarks if any of the authority incharge of the course of study. I shall forthwith pay to the Board on demand the said sum of Rs.....together with interest at the rate of.....% thereon from the date of demand.

5. AND until by making such payment the above written obligation shall remain in full force.

6. The bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Dated this.....day of.....
Signed and delivered by

Shri/Smt./Kum.

.....

.....
in the presence of :—
Witness:—(1).....
.....
(2).....

ACCEPTED

For and on behalf of the Jawaharlal Nehr
Port Trust.

FORM : VII

BOND TO BE EXECUTED BY AN EMPLOYEE NOT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN PROCEEDING ON STUDY LEAVE (REGULATION 39)

KNOW ALL MEN THESE PRESENTS THAT I.....Resident of.....
in the District of.....at present employed as.....
in the Jawaharlal Nehru Port Trust.....(hereinater called "the Obliger") and we Shri/
Shrimati/Kumari.....son/daughter/wife of.....
resident of.....and Shri/Smt./Kumari.....son/daughter/wife of.....
.....resident of.....(hereinafter called "The Sureties"), do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators, to pay to the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust (hereinafter called the Board) on demand the sum of Rs.....
(Rupees.....only) together with interest at the rate of.....% from the date of demand or if the payment is made in a Country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange on the date of demand between that country and India AND TOGETHER with all costs between the attorney and client and all charges and expenses that may be incurred by the Board for recovering the said amount.

2. **WHEREAS** the Obliger is granted study leave by the Board for a period of.............. from.... in consideration of which he executed a bond dated.................for Rs....................(Rupees................only) in favour of the Board.

3. **AND WHEREAS** the extention of study leave is granted to him, by the Board for a further period of...... until..................

4. **AND WHEREAS** for the protection of the Board I have agreed to execute the agreement on further condition as hereunder written—

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT, in the event of the Obligor's failing to resume the duty on the expiry of the period of study leave granted to the Obliger/for the extended period of study leave granted to the Obligor or resigning or retiring or otherwise quitting service without returning the duty after expiry of period/extended period of study leave or resigns or retire or quits service within a period of three years after return to duty or fails to complete the course of study except on medical ground, or furnish the certificate of examination passed or special course of a study undertaken indicating the date of commencement and termination of the course with marks if any, of the authority incharge of the course of study. I shall forthwith pay to the Board on demand the set sum of Rs......together with the interest at the rate of......thereon from the date of demand.

5. **AND WHEREAS** the said sureties have agreed to execute this bond as sureties on behalf of the said obligor.

6. And until the Obligor and the sureties afoeresaid making such payment the above written obligation shall remain in full force.

7. Provided always that the liability of the sureties shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any act of forbearance or omission of the Board or any person authorised by them (whether with or without the consent or knowledge of the sureties) nor it shall be necessary for the Board to sue the Obligor before suing the said sureties.

8. The bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate courts of India.

DATED This....................day of.....................Signed and deliverd by the Obligor abovenamed Shri/Smt./Kumari......................in the presence of witnesses :

1............................

2..........................

Signed and delivered by the surety above named Shri/Smt./Kum.

....

in the presence of witnesses:

1..........................

2..........................

ACCEPTED

For and on behalf of the Jawaharlal Nehru Port Trust.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993